वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

निदेशक मंडल	डॉ. वि. एस. हेगड़े
	डॉ. वी. के. डढवाल
	श्री ए. विजय आनंद
	डॉ. एम. अन्नादुरई (01 मई 2015 से)
	डॉ. वाई.वी.एन. कृष्णमूर्ति (01 मई 2015 से)
	श्री एस. राकेश (20 अक्तूबर, 2014 से)
	श्री सी.एम. साने (01 मई 2015 से)
	श्री वी. कोटेश्वर राव (01 नवंबर 2014 तक)
	श्री ई. वसंता (31 दिसंबर 2014 तक)
	श्री पी.जे. मैथ्यू (18 सितंबर 2014 तक)
	श्री अरुण बालकृष्णन
	श्री वाई. एस. मैय्या
	श्री देवांग वी. खखर
	श्री वी. रघु वेंकटरामन (06 फरवरी 2015 से)
प्रबंधन दलः	
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	डॉ. वि. एस. हेगड़े
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) एवं निदेशक (आर.एस.डी.एस.)	श्री वी. रघु वेंकटरामन
निदेशक, विशेष परियोजनाएँ	श्रीमती गीता वरदन
निदेशक (तकनीकी एवं सेवाएँ)	श्रीमती टी.एस. शोभा
निदेशक (प्रमोचन सेवाएं एवं मिशन)	श्री डी. राधाकृष्णन
निदेशक (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी)	डॉ. बी.के. रंगनाथ
निदेशक, व्यापार विकास (अंतरिक्षयान उपप्रणाली)	श्री समीर पाल (25 मार्च, 2015 से)
वरिष्ठ प्रधान लेखा एवं आं.वि.स.	श्री जी. अलगेसन
सांविधिक लेखा परीक्षक	मेसर्स बी.वी. राव एवं कंपनी चार्टरित लेखाकार 49-28-12, सत्यलक्ष्मी विनायक टावर मधुरानगर विशाखापट्टनम 530 016
बैंकर	केनरा बैंक आर.एम.वी. एक्सटें. शाखा बेंगलूरु 560 080
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डॉलर कॉलोनी शाखा बेंगलूरु 560 054
पंजीकृत कार्यालय	अंतरिक्ष भवन न्यू बी.ई.एल. रोड के निकट बेंगलूरु 560 231

विषय सूची

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	1
आरक्षण	3
राजभाषा कार्यान्वयन	4
वार्षिक विवरणी सार	8
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	14
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध	16
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	20
तुलन पत्र	23
लाभ तथा हानि लेखा	24
तुलन पत्र के भाग के रूप में नोट	25
लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में नोट	30
लेखा विधि नीतियाँ	34
लेखा के भाग के रूप में अन्य नोट	36
नकद प्रवाह विवरण	47

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणी सहित तेइसवीं वार्षिक रिपोर्ट को निदेशक मण्डल को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष कंपनी का कार्य-निष्पादन प्रगति सूचक एवं प्रभावशाली रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी का राजस्व ₹ 1860.71 करोड़ रहा है, जो गत वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है। कर के पश्चात लाभ ₹ 205.10 करोड़ रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी ने इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन के अलावा अंतरिक्ष तकनीक को जन कल्याण हेतु प्रयुक्त किया है तथा राष्ट्र को आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

डी.टी.एच., दूरदर्शन-प्रसारण, वीसैट अनुप्रयोग, आँकड़ा पुनर्प्रापण, दूरभाषी एवं मोबाइल तथा सुदूर क्षेत्र संचार सेवाओं में त्वरित प्रगति के कारण देश में उपग्रह संचार की माँग में वृद्धि की संभावनाएँ बढ़ी हैं। जीसैट 16 संचार उपग्रह प्रमोचन के बाद, सी/ विस्तारित सी/ के.यू. बैंड में 48 अतिरिक्त प्रेषानुकरों के कारण कक्षीय क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारतीय प्रयोक्ताओं को 6 अतिरिक्त प्रेषानुकर मुहैया कराये हैं। इसके अलावा, नए उपग्रहों पर स्थानांतरण की सुविधा के लिए 12 प्रेषानुकरों का प्रावधान किया गया है। इन आबंटनों के साथ, इन्सैट/जीसैट प्रणाली में 134 प्रेषानुकरों से अधिक एवं विदेशी विक्रेताओं से 96 प्रेषानुकरों को पट्टे पर लेने के बाद भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाओं का उत्तरोत्तर प्रावधान किया गया है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कम्पनी ने पूरे विश्व के उपग्रह प्रचालकों के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी.) एवं अन्य संबंधित सेवाओं को विश्व के प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रदान करना जारी रखा है। मेसर्स इंटेलसैट के साथ अन्तरण कक्षीय सहायक सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस.) प्रदान करने के करार के साथ आपकी कंपनी ने मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) के भू-स्टेशन के उपयोग से आई.एस.30 के लिए टी.ओ.एस.एस. एवं डी.टी.वी.-14 उपग्रहों को सहायता प्रदान की है। इस्ट्रैक के भू-स्टेशन का उपयोग केसैट मिशन के लिए टी.टी.सी. सेवा प्रदान करने के लिए किया गया।

प्रमोचन सेवाएँ

वर्ष के दौरान, 16 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सहयात्री के रूप में प्रमोचन के लिए आठ पी.एस.एल.वी. प्रमोचन सेवा करारों पर हस्ताक्षर किए गए। ये हैं- स्काईबॉक्स इमेजिंग इंक, यू.एस.ए.; डी.एल.आर. जर्मनी;सी.ओ.एम.डी.ई.वी. कनाडा;टोरंटोविश्वविद्यालय के वांतरिक्ष अध्ययन संस्थान; कॉसमोस अंतर्राष्ट्रीय, जर्मनी; स्पेस फलाइट इंक, यू.एस.ए. एवं अल्जीरियन स्पेस एजेंसी। इनके साथ, कंपनी ने 33 उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है। डी.एम.सी. अंतर्राष्ट्रीय इमेजिंग (डी.एम.सी.आई.आई.)/ सुर्रे उपग्रह प्रौद्योगिकी लिमिटेड (एस.एस.टी.एल.), यू.के. एवं एंट्रिक्स के बीच करार के संदर्भ में, 10 जुलाई, 2015 को पी.एस.एल.वी.-सी28 के द्वारा तीन समान डी.एम.सी.-3 भू-प्रेक्षण उपग्रह एवं सी.बी.एन.टी-1 (एक सूक्ष्म उपग्रह) तथा डी-ऑर्बिट सेल (एक नैनो उपग्रह) का प्रमोचन किया गया।

आई.आर.एस. से संबंधित कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के भू-प्रेक्षण आँकड़ों की आवश्यकताओं की परिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कम्पनी भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह समूह से प्राप्त आँकड़े तथा डाउनलिंक सेवाओं का विपणन कर रही है। कांग्सबर्ग उपग्रह सेवाएँ (के सैट), नार्वे के साथ करार के हिस्से के तौर पर, आई.आर.एस. रडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट-1) के लिए आँकड़ा प्रापण एवं संसाधन सुविधाओं को क्रमशः स्वालबार्ड एवं ट्राम्सो में प्रचालनीय बनाया गया। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, एन.जी.ओ., ईरान एवं सी.आर.आई.ई.एस., अल्जीरिया की सुविधाओं पर आई.आर.एस. कार्टोसैट-1 सीधा आँकड़ा प्रापण एवं संसाधन क्रियाकलाप पुनः आरंभ हो चुका है। जर्मनी के जी.ए.एफ., ए.जी. के उन्नत भू-स्टेशन ने आई.आर.एस. रिसोर्ससैट-2 से आँकड़ा-प्रापण एवं संसाधन प्रचालन आरंभ कर दिया है।

दौरों का विनिमय

वर्ष के दौरान विश्व-भर की कई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ पारस्परिक दौरे किए गए हैं। इनसे वर्तमान संबंधों को मजबूत बनाने और परस्पर लाभ के लिए नए संबंध कायम करने में भी मदद मिली है। आपकी कंपनी आशावान है कि आगामी वर्षों में ये दौरे और विचार-विनिमय व्यापार संबंधी अवसरों को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.15 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)	31.03.14 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)
कुल आय	1,86,071.00	1,59,052.20
घटाइए : कुल व्यय	1,53,488.45	1,31,104.36
मूल्य ह्रास तथा कराधान से पहले लाभ	**32,582.55**	**27,947.84**
जोड़िए : असामान्य मद	-	3.62
जोड़िए : पिछली अवधि के मद	46.49	1,820.02
घटाइए : मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	(89.08)	(134.23)
घटाइए : कराधान के लिए प्रावधान	(9,604.92)	(9,801.12)
घटाइए / जोड़िए : आस्थगित कर	(2,425.16)	213.75
वर्तमान वर्ष का अधिशेष	20,509.88	20,049.88
जोड़िए : पिछले वर्ष का अधिशेष	39.97	6.59
पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**20,549.85**	**20,056.47**
सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	15,100.00	15,000.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व में स्थानांतरित	530.10	325.00
घटाइए : वर्ष के दौरान सी.एस.आर. पर व्यय	(80.00)	-
प्रस्तावित लाभांश	4,112.00	4,010.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर	837.12	681.50
तुलन पत्र को स्थानांतरित लाभ एवं हानि लेखा का अधिशेष	50.63	39.97
पुनर्विनियोजन का कुल	**20,549.85**	**20,056.47**

लाभांश

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), के दिनांक 17.09.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ/1(16)-ई II(ए), दिनांक 20.08.1998 के का.ज्ञा.सं. एफ.19(I)-ई-II(ए)/98 तथा दिनांक 13.06.2001 के सं. एफ.3(2)-बी(एस)/2001 और दिनांक 09.09.2002 के अ.शा. प.सं. 3(67)-बी(एस)/2002 और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17.06.2004 के अ.शा.पत्र सं. 3(2)बी/एस/2003 और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19 मई, 2005 के अ.शा. पत्र सं. 3(3)-बी(एस)/2005 द्वारा जारी किये गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में आपका निदेशक मण्डल ₹400 लाख की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी पर 1028% (पिछले वर्ष 4010%) के लाभांश की सिफारिश करता है। यह 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए करोत्तर लाभ के 20% को दर्शाता है।

रिजर्व को हस्तांतरित

पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि से रिजर्व निधि में ₹151.11 करोड़ हस्तांतरित करने के लिए कंपनी ने प्रस्ताव रखा है।

आगामी दृष्टिकोण

कंपनी व्यापार से जुड़े कई अवसरों की संभावनाएँ उत्सुकतापूर्वक तलाश रही है, और वर्ष के दौरान अंतरिक्षयान उप-प्रणाली के विपणन की पहल की गई है।

निदेशकगण

श्री पी. जे. मैथ्यू सेवाकाल के समापन के बाद दिनांक 18 सितंबर, 2014 से निदेशक के पद से मुक्त हो चुके हैं। श्री वी. कोटेश्वर राव सेवाकाल के समापन के बाद दिनांक 01 नवंबर, 2014 से निदेशक के पद से मुक्त हो चुके हैं। श्री ई. वसंता सेवाकाल के समापन के बाद दिनांक 31 दिसंबर, 2014 से निदेशक के पद से मुक्त हो चुके हैं। श्री वी. रघु वेंकटरामन दिनांक 06 फरवरी, 2015 से सहायक निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त किए गए। श्री सी.एम. साने, डॉ. वाई.वी.एन. कृष्णमूर्ति एवं डॉ. एम. अन्नादुरई दिनांक 01 मई, 2015 से बोर्ड के निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए।

बोर्ड, श्री पी.जे. मैथ्यू, श्री ई. वसंता एवं श्री वी. कोटेश्वर राव के निदेशक के रूप में अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि :

i. 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति दर्शाने हेतु विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं;

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने "चालू फर्म" के आधार पर 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;

v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है;

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तर पर कॉर्पोरेट शासन समिति का गठन किया है जो कम्पनी के कॉर्पोरेट शासन व्यवहार को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करेगी। आपकी कम्पनी भारत सरकार एवं अन्य सांविधिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पद्धति का अनुपालन करती रही है।

बेहतर कॉर्पोरेट शासन पद्धति के लिए कम्पनी के प्रयासों के सम्मान में पिछले वर्ष सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आपकी कम्पनी को "बहुत अच्छा" दर्जा के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) का अनुपालन करते हुए, निर्धारित प्रारुप में वार्षिक विवरण इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्न है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.)

वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सी.एस.आर. एवं एस.डी. के लिए ₹5.301 करोड़ निर्धारित कर रखा है।

साथ ही, वर्ष के दौरान कंपनी अब तक ₹80 लाख व्यय कर चुकी है। ₹4.501करोड़ की बाकी बची राशि, साथ ही, पिछले वर्ष में व्यय नहीं की गई ₹2.75 करोड़ की राशि जिनका कुल योग ₹7.251 करोड़ होता है एवं इस पर प्राप्त ब्याज को सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध कराया गया है। लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा परियोजना को लागू करने में हुए विलंब के कारण वर्तमान में यह राशि व्यय नहीं की पाई है। कंपनी ने आगामी वर्षों में सी.एस.आर. क्रियाकलापो को जारी रखने के लिए योजना तैयार की है एवं क्रियाकलापों में निधि के व्यय के लिए आश्वस्त है।

लेखा परीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 30 अगस्त, 2014 के पत्र सं. सीए.5/सीओवाई/केंद्र सरकार.एंट्रिक्स(1)/115 के माध्यम से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स बी.वी. राव एवं कंपनी, चार्टरित लेखाकार, बेंगलूरु को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने दिनांक 07 जुलाई, 2015 के पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, एंट्रिक्स(1)/185 के माध्यम से वित्त वर्ष 2015-16 के लिए मेसर्स बी.वी. राव एवं कंपनी, चार्टरित लेखाकार को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सावधिक जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों का विवरण:

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को, समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण

कार्य प्रबंधन हेतु इसरो/ अं.वि. के कार्मिकों के अलावा, एन्ट्रिक्स में कार्मिक के तौर पर कुल सात (7) स्थायी कार्मिक [वर्ग क (तकनीकी)-1, वर्ग क (प्रशासन)-2, वर्ग ख (प्रशासन)-3, वर्ग ग

(प्रशासन)-1] कार्यरत हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति तीन थी।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी दी जानेवाली सूचना शून्य है, क्योंकि कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

आभारोक्ति

आपके निदेशक मंडल, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से कंपनी को प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशक मंडल, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका भी आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक मंडल, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, इसरो के विविध केन्द्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान से कंपनी के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उनकी सराहना करते हैं।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार है :

विदेशी मुद्रा अर्जन	राशि (₹) लाख में	राशि विदेशी मुद्रा में	
निर्यात	621.43	यू.एस.डी.	10,41,717.50
तकनीकी परामर्शिता	2,484.07	यू.एस.डी.	35,91,843.30
प्रमोचन सेवाएँ	24,714.06	यूरो	3,23,27,615.00
		यूरो	4,10,281.94
कुल	**27,819.56**	यू.एस.डी.	**46,33,560.80**
		यूरो	**3,27,37,896.94**
विदेशी मुद्रा में	**राशि (₹) लाख में**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
यात्रा	1.35	यू.एस.डी.	720.00
		यूरो	1,315.00
आयात लागत	327.73	यू.एस.डी.	5,33,136.60
तकनीकी सेवाएँ लागत	49,207.57	यू.एस.डी.	8,04,30,144.91
अन्य सेवा लागत	1,031.96	यू.एस.डी.	16,38,334.51
		यूरो	15,650.00
कुल	**50,568.61**	**यू.एस.डी.**	**8,26,02,336.02**
		यूरो	**16,965.00**

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग क्रियान्वित करती रही है।

वर्ष के दौरान, ओ.एल.आई.सी. (राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की, वर्ष की नीति निर्धारण के लिए बैठक हुई। सक्षम प्राधिकारियों ने कंपनी में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया। कंपनी ने तीन कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया जिससे कार्मिकों ने आवश्यक कुशलता प्राप्त की और इससे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में मदद मिली।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(वि. एस. हेगड़े)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 17.07.2015

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विभाग मंत्रालय एवं एक सरकारी विश्वविद्यालय अर्थात् - इग्नू ने किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्ति एवं बकाया से इनकार किया है। हालाँकि, न तो वर्ष 2011-12 से लेकर 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹5710.58 लाख की राशि की सेवाओं की बिक्री और ₹4,853.99 लाख की संचयी सेवाएँ लागत में बदलाव और न ही, ₹856.59 लाख की निवल राशि का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप लाभ अतिविवरित एवं ₹856.59 लाख की राशि के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान न्यूनविवरित रहा।	1. कंपनी, इसरो मु./अं.वि. द्वारा आबंटित उपग्रह बैंड-विस्तार पर आधारित बीजक तैयार करने के व्यवहार का निरंतर अनुसरण कर रही है। जिससे आबंटित क्षमता के भुगतान के लिए बिलिंग चक्र की जानकारी मिलती है। तदनुसार, कंपनी ने रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए बैंड-विस्तार के आबंटन के परिणाम स्वरूप बीजक तैयार किया। प्रयोक्ता द्वारा किसी प्रकार की अस्वीकृति को इसरो मु./अं.वि. द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किया जाएगा और कंपनी की लेखा पुस्तिका में उचित लेखा प्रविष्टि की जाएगी।
2. अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप कंपनी द्वारा करार रद्द किए जाने के कारण हुए नुकसान के लिए मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड ने 1.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹7,00,480 लाख) का दावा किया। उक्त दावा को कंपनी ने विवादित करार दिया है। लेखा के नोट के रूप में इसे आकस्मिक देयता बताया गया है, परंतु आकस्मिक देयता के अंतर्गत नहीं। इस कारण, आकस्मिक देयता ₹7,00,480 लाख तक न्यूनविवरित हुआ।	2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता याचिका एवं पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य प्रकोष्ठ (आई.सी.सी.) के तहत देवास द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में कंपनी भाग ले रही है। एन्ट्रिक्स ने, अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलुरु में (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा-9 के अंतर्गत) मध्यस्थता याचिका दायर की है। आज की तारीख तक मामला दिनांक 09 अक्तूबर, 2015 को होने वाली सुनवाई के लिए लंबित है। आइ.सी.सी.की कार्यवाही में, देवास ने प्रारंभ में करार को विशेष रूप से निपटाने या उसके एवज में क्षति की भरपाई पाने की इच्छा जाहिर की थी। तदंतर, उन्होंने विशेष निष्पादन के दावे को वापस ले लिया। इस बाबत 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी ₹7,004.80 करोड़) के नुकसान की भरपाई की माँग की गई, जिसमें ₹21.89 करोड़ (5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं। करार के अंतर्गत ₹21.89 करोड़ की परिसमाप्ति नुकसान को पहले ही आकस्मिक देयता के तौर पर लेखा के भाग के रूप में अन्य नोट में दर्शाया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
	15 से 19 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान लंदन में न्यायाधिकार, देयता एवं गुणवत्ताओं पर आइ.सी.सी.की सुनवाई आयोजित की गई। न्यायालय के निर्देशानुसार दोनों पक्षों ने 16 फरवरी, 2015 एवं 23 मार्च, 2015 को सुनवाई के बाद की संक्षिप्त याचिकाएँ दायर की हैं। आइ.सी.सी.ने न्यायालय को निर्णय लेने के लिए 30 सितंबर, 2015 तक का समय दिया है। करार के तहत, समाप्त करने पर, एन्ट्रिक्स पर, देयता की सीमा अपफ्रंट आरक्षण शुल्क की वापसी तक सीमित है। इन कारणों से, परिणाम की संभावना क्षीण है। इसलिए लेखा में दावे को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया नहीं गया है।
3. हमारे विचार से और हमें जो सूचना एवं स्पष्टीकरण दिया गया है उसके आधार पर नियत परिसम्पत्ति के क्रय एवं सामान तथा सेवाओं के विक्रय के लिए कंपनी के आकार और व्यापार के प्रकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है। फिर भी, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए वास्तविक वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं/ अंतरिक्ष खंड के प्राप्तकर्ता को अं.वि. द्वारा मासिक/साप्ताहिक प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत करना जरूरी है।	3. कंपनी का संबंधित व्यापार शीर्ष बीजक तैयार करने के लिए अंतरिक्ष खंड के वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं को मासिक विवरणी मुहैया कराता है। यह इसरो मु./अं.वि. द्वारा जारी आबंटन पत्रों पर आधारित होता है। प्रबंधन के विचार में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण मौजूद है, फिर भी, कंपनी इसरो मु./अं.वि. से वास्तविक उपग्रह बैंड-विस्तार आबंटन के मासिक/ तिमाही प्रमाण प्रदान करने का अनुरोध करेगी।

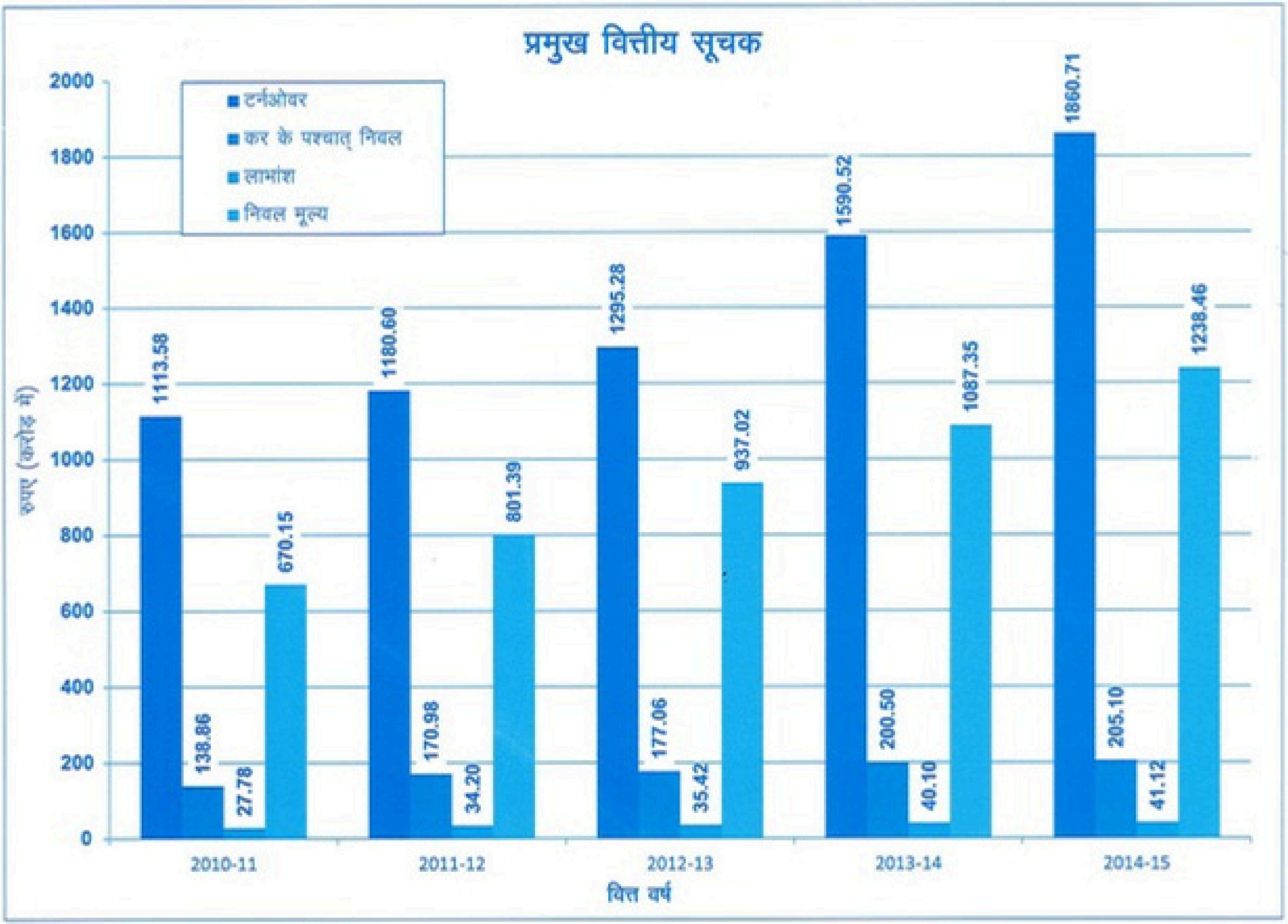
प्रमुख वित्तीय सूचक
टर्नओवर
कर के पश्चात् निवल
लाभांश
निवल मूल्य
रुपए (करोड़ में)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1113.58
138.86
27.78
670.15
1180.60
170.98
34.20
801.39
1295.28
177.06
35.42
937.02
1590.52
200.50
40.10
1087.35
1860.71
205.10
41.12
1238.46
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
वित्त वर्ष

फॉर्म नं. एम.जी.टी.-9

वार्षिक विवरणी सार

31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सी.आई.एन.U85110KA1992GOI013570

ii) पंजीकरण तिथि: 28 सितंबर, 1992

iii) कंपनी का नाम : एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

iv) कंपनी का संवर्ग/उप संवर्ग: शेयर आधारित लिमिटेड कंपनी/भारत सरकार की कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण:

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यु बी.ई.एल. रोड
बेंगलूरु- 560094

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है: नहीं

vii) निबंधक एवं हस्तानांतरण, एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो-लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले व्यापारिक क्रियाकलाप का उल्लेख किया जाएगा-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरणी	उत्पाद/सेवाओं के एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलाप	9983325 99831414 99653200	68.20% 14.30% 17.50%

III. नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के विवरण

क्रम सं.	कंपनी के नाम एवं पता	सी.आई.एन./ जी.एल.एन.	नियंत्रक/ सहायक/ संबद्ध	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयर धारिता प्रतिरूप (इक्विटी शेयर पूँजी विवरण)

i) वर्गानुरूप शेयर धारिता

शेयर धारक के वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयर की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/एच.यू.एफ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) केंद्र सरकार	0	1,00,000	1,00,000	100	0	4,00,000	4,00,000	100	300
(ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ङ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (ए) (1):-	0	1,00,000	1,00,000	100	0	4,00,000	4,00,000	100	300
(2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय - वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य-वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक/ वि.सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (ए) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	0	1,00,000	1,00,000	100	0	4,00,000	4,00,000	100	300
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/वि.सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) उपक्रम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) एफ.आइ.आइ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) विदेशी उपक्रम पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (बी) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. गैर संस्थागत									
क) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) ₹ एक लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) ₹ एक लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (बी) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी.जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ए+बी+सी)	0	1,00,000	1,00,000	100	0	4,00,000	4,00,000	100	300

ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता

क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धारिता के प्रतिशत में परिवर्तन
1	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	1,00,000	100%	शून्य	4,00,000	100%	शून्य	300
	कुल	1,00,000	100%	शून्य	4,00,000	100%	शून्य	300

iii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	1,00,000	100%	1,00,000	100%
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि /कमी	धारित 1 शेयर के लिए 3 शेयर के अनुपात में दिनांक 15.09.2014 को निर्गत बोनस शेयर		3,00,000	100%
3	वर्ष के अंत में	1,00,000	100%	4,00,000	100%

iv) पहले दस शेयर धारकों की शेयर धारिता के प्रतिरूप (जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों के अलावा)

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	पहले दस प्रत्येक शेयर धारकों के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी				
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि में, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (के.एम.पी.) की शेयर धारिता:

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक एवं के.एम.पी. के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ - आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी)	शून्य			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

vi) ऋणग्रस्तता

बकाया ब्याज /प्रोद्भूत परन्तु भुगतान के लिए बाकी नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज लेकिन अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं				
कुल (i+ii+iii)		शून्य		
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज लेकिन अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं		शून्य		
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

vii) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डब्ल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम				कुल राशि (वित्त वर्ष 2014-15 के लिए) ₹ में
		सी.एम.डी. ₹ में	ई.डी. ₹ में	ई.डी. (ओ) ₹ में	----	
1	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन	24,27,307	7,89,288	1,43,666		33,60,261
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान	शून्य				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	शून्य				
2	स्टॉक विकल्प	शून्य				

3	स्वेट इक्विटी	—— शून्य ——				
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें	—— शून्य ——				
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	—— शून्य ——				
	कुल (ए)	**24,27,307**	**7,89,288**	**1,43,666**		**33,60,261**
	अधिनियम के अनुसार परिसीमन					

बी. अन्य निदेशकों हेतु पारिश्रमिक:

क्रम सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**निदेशकों के नाम**		**कुल राशि**
		श्री अरुण बालाकृष्णन ₹	प्रो. देवांग वी. खखर ₹	
	1. स्वतंत्र निदेशकगण • बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	1,50,000	60,000	2,10,000
	• कमीशन	—— शून्य ——		
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	—— शून्य ——		
	कुल (1)	1,50,000	60,000	2,10,000
	2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकगण • बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	—— शून्य ——		
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (बी) = (1+2)	1,50,000	60,000	2,10,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			35,70,261
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमन			

सी. एम.डी./प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी. के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों हेतु पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति			
1		सी.ई.ओ.	कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	कुल
	1. सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	—— शून्य ——			
2	स्टॉक विकल्प	—— शून्य ——			
3	स्वेट इक्विटी	—— शून्य ——			
4	कमीशन - लाभ के % के रूप म - अन्य, उल्लेख करें	—— शून्य ——			
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	—— शून्य ——			
	कुल	—— शून्य ——			

vii) शास्ति /दंड/संयोजित अपराध

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित/शास्ति/दंड संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर.डी./एन. सी.एल.टी./न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					
बी. निदेशकगण					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					
सी. भुगतान नहीं करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की संलग्न वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2015 तक का तुलन-पत्र, और लाभ तथा हानि का विवरण एवं प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों की तैयारी की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, जो अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पठ्य नियम 7 में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा-विधि रिकॉर्डों का रख-रखाव; उपयुक्त लेखा-विधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखा-विधि रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरण से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा-विधि एवं लेखा परीक्षा तथा उन बातों का ख्याल रखा है जिसे विहित अधिनियम एवं नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के तहत शामिल करना जरूरी था।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत उल्लिखित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करें और अपेक्षित आश्वासन पाने के लिए लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें ताकि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हों।

किसी भी लेखा परीक्षा में, राशियों के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण जुटाने तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए निष्पादन-प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षण के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या भूलवश दी गई तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है।

वैसे भी, जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं वित्तीय विवरणों की स्पष्ट प्रस्तुति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आरेखन पर विचार करते हैं न कि यह विचार रखने के लिए कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता है या नहीं। लेखा परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा-विधि नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा-विधि आकलनों की तर्कसंगतता, साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है। हमें विश्वास है कि जो लेखा-विधि प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह अपने लेखा परीक्षा संबंधी विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

1. **परिवर्तित एवं संशोधित मंतव्य का आधार:**
   (क) रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय एवं एक सरकारी विश्वविद्यालय अर्थात्, इग्नू ने किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्ति एवं बकाया से इनकार किया है। हालाँकि, न तो 2011-12 से लेकर 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹5710.58 लाख की राशि की सेवाओं की बिक्री और ₹4,853.99 लाख की राशि की संबंधी सेवाएँ लागत में बदलाव और न ही ₹856.59 लाख की निवल राशि का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लाभ अतिविवरित और ₹856.59 लाख तक के संदिग्ध ऋण का प्रावधान न्यूनविवरित रहा।
   (ख) अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप कंपनी द्वारा करार रद्द किए जाने के कारण हुए नुकसान के लिए मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड ने 1.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹7,00,480 लाख) का दावा किया। उक्त दावा को कंपनी ने विवादित करार दिया है। लेखा के नोट के रूप में इसे आकस्मिक देयता बताया गया है, परंतु आकस्मिक देयता के अंतर्गत नहीं। इस कारण, आकस्मिक देयता ₹7,00,480 लाख तक न्यूनविवरित हुआ।

परिवर्तित एवं संशोधित मंतव्य:

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, अनुच्छेद 1(क) एवं 1(ख) में वर्णित बातों पर आधारित प्रभावों के अलावा, वित्तीय लेखा, भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धांतों एवं अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं

स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है:-

क) 31 मार्च, 2015 तक, कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति तुलन-पत्र के रूप में।

ख) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्त लाभ को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में।

ग) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष में नकद प्रवाह को नकद प्रवाह विवरण के रूप में।

तथ्यात्मक महत्ता:

हम निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

क) नोट सं. 4 तथा 11- खण्डानुसार रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत कंपनी ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से सामानों के प्रत्येक वर्ग के परिमाणों एवं समानुपाती मानों को उजागर करने से छूट का आवेदन किया है और उत्पादों की संवेदनशील प्रकृति और प्रचालन के क्षेत्र के मद्देनजर छूट-प्राप्ति लंबित होने के कारण वर्तमान एवं विगत वित्त वर्षों में अनुसूची-III एवं लेखा-विधि मानक 17- खण्ड रिपोर्टिंग के तहत अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की है।

ख) नोट सं. 10 - भुगतान न की गई विवादित कर देयताओं से संबंधित अगले अनिवार्य ब्याज को उजागर न करने के संबंध में।

ग) नोट सं. 23- ग्राहकों से जमा सुनिश्चितता की अनुपलब्धता, सुनिश्चितता-प्राप्त ग्राहक खातों का सामंजस्य नहीं करने के संबंध में।

घ) नोट सं. 24- वर्ष के अंत में अं.वि./इसरो के खाते में बची हुई धनराशि, जिसकी अं.वि. से पुष्टि अभी बाकी है, के संबंध में।

उपर्युक्त मामलों में हमारा मंतव्य परिवर्तित/संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

2. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी आदेश, 2015 (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) द्वारा यथा अपेक्षित, कंपनी संशोधन आदेश, 2015 (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) द्वारा यथा संशोधित (दोनों मिलाकर एक 'आदेश'), के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अनुलग्नक-1में विवरण प्रस्तुत है।

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) आज तक कंपनी को विनिवेश हेतु चयनित नहीं किया गया है।

ख) वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण/ब्याज से छूट या ऋण को बट्टे में डालने का कोई मामला नहीं है।

ग) कंपनी के पास कोई निर्माण सुविधा नहीं है और न ही कोई सूची। सरकार या अन्य प्राधिकरण से कोई परिसंपत्ति उपहार के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

घ) लंबन के कारण सहित वय-वार लंबित विधिक/मध्यस्थता संबंधी मामलों के विवरण अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न हैं।

मॉनीटरन की सुविधा के लिए एवं कंपनी से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों से जुड़े व्यय के बेहतर नियंत्रण के लिए विधिक मामले (विदेशी एवं स्थानीय) से संबंधित व्यय को विविध व्यय का ब्योरा इस प्रकार है:

(i) स्थानीय विधिक व्यय - ₹7.63 लाख

(ii) विदेशी विधिक व्यय - ₹2,196.70 लाख

स्थानीय विधिक व्यय उपयुक्त अनुमोदन के बाद किए जाते हैं और विदेशी विधिक व्यय आइ.सी.सी. से प्राप्त सूचना एवं अधिवक्ताओं की विदेशी विधिक संस्था के साथ समझौते के बाद किए जाते हैं। हालाँकि, विदेशी अधिवक्ताओं के भुगतान व्यतीत घंटों के आधार पर और व्यय के दावों की प्रतिपूर्ति उनके बिल के अनुसार किए जाते हैं। भरोसे के आधार पर विधिक प्रकोष्ठ द्वारा उक्त घंटों को प्रमाणित किया जाता है और सी.एम.डी. के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अं.वि. के परामर्श पर विदेशी विधिक संस्था की सेवा ली गई है। समय-समय पर, विदेशी विधिक व्यय को बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है।

4. **अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं प्राप्त किया है;

ख) हमारे विचार से, कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है। इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि लेखा-बही के साथ मेल खाते हैं।

ग) हमारे विचार से, तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि लेखा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की उपधारा (3ती) के कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पठव नियम 7 में उल्लिखित लेखा-विधिमानक के अनुरूप हैं।

कृते बी.वी. राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. :003118एस.

हस्ता/-
(बी.वी. राव)
भागीदार
स. सं. 19138

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08.2015

अनुबंध ।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में "मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुच्छेद-2(ए) में उल्लिखित अनुबंध।

i. स्थायी परिसंपत्ति के संबंध में

क) कंपनी परिमाणात्मक विवरण एवं स्थायी परिसंपत्ति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए उपयुक्त रिकॉर्ड का रख रखाव कर रही है।

ख) जैसा हमें विस्तार से बताया गया कि प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्ति की जाँच क्रमवार तरीके से की गई है, जो हमारे विचार से इसकी परिसंपत्ति के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप तर्कसंगत है। इस जाँच में किसी भी वस्तु की कमी नहीं पाई गई थी।

ii. वस्तुओं की सूची के संबंध में, कंपनी, सेवा-आधारित उपक्रम है, जिस कारण कंपनी के पास वस्तुओं की कोई सूची नहीं है, अतएव, खण्ड-ii का उपखण्ड (क), (ख), (ग) लागू नहीं होता।

iii. हमारे विचार से, हमें प्राप्त सूचना एवं विवरण के आधार पर, कंपनी ने, कंपनियों, प्रतिष्ठानों या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुरक्षित पंजिका में खुलासा किया गया है।

iv. हमारे विचार से और हमें प्राप्त सूचना एवं विवरण के आधार पर, कंपनी के पास इसके आकार के अनुरूप, और स्थायी परिसंपत्ति की खरीद एवं सामानों तथा सेवाओं की बिक्री के लिए इसके व्यापार की प्रकृति से जुड़ी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हालाँकि, अंतरिक्ष खण्ड के वास्तविक वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं/आंबटिती को अं.वि. द्वारा प्रमाणीकरण की मासिक/त्रैमासिक प्रणाली की शुरुआत करके आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

v. हमारे विचार से और हमें प्राप्त सूचना एवं विवरण के आधार पर, कंपनी ने, धारा 73 एवं 76 या कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य कोई संबंधित प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सार्वजनिक रूप से कोई जमा-राशि स्वीकार नहीं की है।

vi. लागत रिकॉर्ड के रख-रखाव के संबंध में, कंपनी, सेवा आधारित है अतएव, ऐसे किसी लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव लागू नहीं है।

vii. सांविधिक बकाये से संबंधित प्राप्त सूचना एवं विवरण के आधार पर:

क. कंपनी नियमित रूप से गैर-विवादित सांविधिक बकाए जैसे- आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क, मूल्य आधारित कर, उपकर एवं अन्य सांविधिक बकाया उपयुक्त प्राधिकरण को जमा कराती रही है।

ख. विवादों के कारण 31 मार्च, 2015 तक जमा नहीं कराए गए सेवाकर, के-वैट एवं सी.एस.टी. के विवरण इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	बकाया की अवधि	अदालत जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर	130.91	01-10-2003 से 31-03-2005 तक	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, बेंगलुरु
			3,754.14	18-04-2006 से 15-05-2008 तक	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, बेंगलुरु
2	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	14,683.09	01-04-2005 से 31-07-2008 तक	माननीय सर्वोच्च न्यायालय
3	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	16,725.85	01-08-2008 से 31-03-2010 तक	कर्नाटक के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

नि. एवं म.ले. प. के लेखा परीक्षण में की गई टिप्पणी के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल किया जा रहा है:-

ग. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के लिए आवश्यक राशि के हस्तांतरण हेतु बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

viii. कंपनी, एक लाभ अर्जन करने वाली कंपनी है, इस कारण इसे कोई संचित हानि नहीं हुई है।

ix. हमारे विचार से और हमें प्राप्त सूचना के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई उधार लिया है और न ही कोई ऋणपत्र जारी किया है। अतएव, यह खण्ड लागू नहीं होता।

x. हमें प्राप्त सूचना एवं विवरण के आधार पर, कंपनी ने, बैंक, वित्तीय संस्थानों से किसी और के द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई प्रत्याभूति जारी नहीं की है।

xi. हमारे विचार से एवं हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी ने किसी सावधिक ऋण के लिए आवेदन नहीं किया है।

xii. हमारे संज्ञान एवं विश्वास तथा हमें प्राप्त सूचना और विवरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी अवलोकित या प्रदर्शित नहीं हुई है।

कृते बी.वी. राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. :003118एस

हस्ता/-
(बी.वी. राव)
भागीदार
स. सं. 19138

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08.2015

अनुबंध II

लंबन के कारणों सहित लंबित विधिक/मध्यस्थ मामलों के विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अनुच्छेद सं. 3(डी) हेतु अनुबंध)

क्रम सं.	दावा/सेवा की प्रकृति	एस.सी.एन./ मूल्यांकन आदेश/ मध्यस्थता दर्ज करने की तिथि	तुलन पत्र की तिथि	के लिए लंबित (महीनों की सं.)	संस्था/ प्राधिकरण जहाँ विवाद लंबित है	लंबन/स्थिति के कारण
ए. सेवाकर						
1	संस्थापन एवं प्रवर्तन सेवाओं के तहत 21.04.2009 को आयुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार, दूरदर्शन-शिक्षा एवं वीसैट उपकरण की आपूर्ति एवं संस्थापन पर सेवा कर का दावा	4/21/2009	3/31/2015	71	सी.ई.एस.टी.ए.टी बेंगलूरु	सी.ई.एस.टी.ए.टी. बेंगलूरु द्वारा सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई
2	दिनांक 03.09.09 की एस. सी.एन. सं. सी.ओ.एम.आर./042 के द्वारा दिनांक 18/04/2006 से 31/05/2007 तक की अवधि के दौरान दूरभाष सेवाओं के अन्तर्गत तथा दिनांक 01/06/2007 से 15/05/2009 तक दूरसंचार सेवा के अंतर्गत प्रतिलोम प्रभार प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाताओं को प्रदत्त उपग्रह प्रेषानुकर पट्टा प्रभार पर सेवाकर का दावा	9/3/2009	3/31/2015	67	सी.ई.एस.टी.ए.टी बेंगलूरु	सी.ई.एस.टी.ए.टी. बेंगलूरु द्वारा सुनवाई की प्रथम तारीख मुकर्रर नहीं
बी. के-वैट एवं सी.एस.टी.						
1	दिनांक 01.04.2005 से दिनांक 31.07.2008 तक के लिए के-वैट एवं सी.एस.टी. (दिनांक 24.12.2008 का आदेश)	12/24/2008	3/31/2015	67	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	माननीय न्यायालय की कार्यवाही जारी है
2	दिनांक 01.08.2008 से दिनांक 31.03.2010 तक के लिए के-वैट एवं सी.एस.टी. (दिनांक 19.08.2010 का आदेश)	8/19/2010	3/31/2015	55	माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूरु	माननीय न्यायालय की कार्यवाही जारी है

सी. मध्यस्थता मामला						
	केंद्र सरकार द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता के तहत करार को रद्द करने तथा केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय के आधार पर कंपनी को वाणिज्यिक क्रियाकलापों हेतु एस-बैण्ड में कक्षीय स्लॉट प्रदान नहीं करने के कारण मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्रा. लि. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य प्रकोष्ठ (आइ. सी.सी.) पेरिस के समक्ष इनके बीच हुए करार को कंपनी द्वारा रद्द किए जाने से हुए नुकसान के कारण विवाद।	6/29/2011	3/31/2015	45	अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य प्रकोष्ठ (आइ.सी.सी.), पेरिस	मेसर्स देवास मल्टी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एन्ट्रिक्स से सीधे तौर पर कोई दावा या माँग नहीं है। दिनांक 15 से 19 दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान अधिकारिता एवं देयता के बारे में आइ.सी. सी. में सुनवाई हुई। आइ. सी.सी. के निर्देशानुसार, दिनांक 16 फरवरी, 2015 तथा दिनांक 23 मार्च, 2015 को दोनों पक्षों ने सुनवाई के बाद के अपने-अपने पक्षों के सार प्रस्तुत किए हैं। आइ. सी.सी. द्वारा दिए जाने वाला अधिनिर्णय प्रतीक्षाधीन है। इस बीच, आइ.सी.सी. ने अधिनिर्णय की समय-सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2015 कर दी है।
					अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, बेंगलूरु	कंपनी ने, देवास द्वारा आइ. सी.सी. कार्यवाही पर व्यादेश एवं अधिनिर्णय कि देवास द्वारा मध्यस्थता का आह्वान करार के अनुरूप नहीं हैं, के लिए अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु में मध्यस्थता-आवेदन तथा मुकदमा दायर किया है। एन्ट्रिक्स ने अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय में दायर मध्यस्थता याचिका (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत) एवं सिविल मुकदमा पर अपनी बहस पूरी कर ली है। मामले की अगली सुनवाई अब 09 अक्तूबर, 2015 को होगी।

कृते बी.वी. राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. :003118एस

हस्ता/-
(बी.वी. राव)
भागीदार
स. सं. 19138

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08.2015

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा-परीक्षा करते हुए अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। दिनांक 06.08.2015 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऐसा करने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की तरफ से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा-परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्य संबंधी कागजात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाविधि रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है। मेरी लेखा-परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी विशिष्ट बात नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत हो या सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी हो।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

हस्ता/-
(डॉ. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.08.2015

विस्तृत वित्तीय विवरणी

31.03.2015 के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		नोट सं	31.03.2015 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2014 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I.	**इक्विटी एवं देयताएँ :**			
	(1) शेयरधारों की निधि:			
	(क) शेयर पूंजी	क	400.00	100.00
	(ख) रिज़र्व तथा अधिशेष	ख	1,24,170.73	1,08,909.97
	(2) दीर्घकालीन देयता:			
	(क) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		1,152.35	-
	(ख) अन्य दीर्घकालावधि देयताएँ	ग	76,806.42	89,848.64
	(ग) दीर्घावधि प्रावधान	घ	29.99	19.95
	(3) चालू देयताएं			
	(क) व्यापार देय		56,197.37	29,453.79
	(ख) अन्य चालू देयताएँ	ङ	35,567.11	57,116.53
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	च	4,950.98	4,693.28
	कुल		**2,99,274.95**	**2,90,142.16**
II.	**परिसम्पत्ति:**			
	(1) दीर्घकालीन परिसंपत्ति:			
	(क) स्थायी परिसंपत्ति			
	(i) मूर्त परिसंपत्ति	छ	1,523.22	1,499.14
	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति	ज	4.21	10.05
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)		-	1,272.81
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	झ	68,741.38	51,471.71
	(2) चालू परिसंपत्ति			
	(क) चालू निवेश	ञ	-	14,815.97
	(ख) व्यापार प्राप्तियाँ	ट	67,147.15	61,735.15
	(ग) नकद एवं बैंक शेष	ठ	1,34,328.95	1,13,857.41
	(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	ड	16,400.47	37,591.00
	(ङ) अन्य चालू परिसंपत्ति	ढ	11,129.57	7,888.92
	कुल		**2,99,274.95**	**2,90,142.16**

नोट क से ढ तक इस तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.003118 एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.वी. राव)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं.19138

हस्ता/
(वी. रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/
(वि.एस. हेगड़े)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

31.03.2015 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं	31.03.2015 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2014 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	1	1,71,755.69	1,47,734.65
II	अन्य आय	2	14,315.31	11,317.55
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**1,86,071.00**	**1,59,052.20**
IV	व्यय:			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	3	1,48,755.17	1,28,937.25
	(ii) कर्मचारी लाभ व्यय	4	336.65	290.83
	(iii) मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय			
	- चालू वर्ष		77.66	132.01
	- विगत वर्ष		8.14	2.22
	- धारित प्रारंभिक आय के प्रति सी.ए. 2013/ए.एस.6 की अनुसूची II के अनुसार समायोजन		3.28	-
	(iv) अन्य व्यय	5	4,396.63	1,876.28
	कुल व्यय		**1,53,577.53**	**1,31,238.59**
V	पूर्वावधि मद, असामान्य मद एवं कर से पहले लाभ		32,493.47	27,813.61
VI	पूर्वावधि मद (आय)	6	46.49	1,820.02
VII	असामान्य मद (आय)		-	3.62
VIII	**कर से पहले लाभ (V+VI+VII)**		32,539.96	29,637.25
IX	कर व्यय			
	i) चालू कर			
	क) चालू वर्ष		(8,670.10)	(9,823.00)
	ख) पहले के वर्ष		(934.82)	21.88
	ii) आस्थगित कर	7	(2,425.16)	213.75
X	**चालू प्रचालनों की अवधि के लिए लाभ (VIII-IX)**		**20,509.88**	**20,049.88**
XI	प्रत्येक इक्विटी शेयर की आय:			
	प्रत्येक इक्विटी शेयर की गणना करो हेतु अंश (न्यूमरेटर) के रूप में उपयोग की गई राशि :		20,509.88	20,049.88
	प्रत्येक इक्विटी शेयर की आय की गणना करने हेतु हर (डिनोमिनेटर) के रूप में उपयोग किए गए शेयरों की संख्या		4,00,000.00	1,00,000.00
	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य में		100.00	100.00
	प्रति इक्विटी शेयर से प्राप्त मूल तथा मिश्रित आय:		0.05	0.20
नोट सं.1 से 7 इस लाभ तथा हानि लेखा के अ निवार्य भाग हैं ।				

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.003118 एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.वी. राव)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं.19138

हस्ता/
(वी. रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/
(वि.एस. हेगड़े)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

31.03.2015 को तुलन पत्र के भाग के रूप में नोट

(₹ लाख में)

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03.2015 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए मान	31.03.2014 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए मान
क	**शेयर पूंजी:**			
	इक्विटी शेयर :			
	(क) प्राधिकृत:			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	1,00,00,000	5,00,000
	(ii) शेयरों की राशि	लाख में	10,000.00	500.00
	(ख) जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त नकद :			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	4,00,000	1,00,000
	(ii) शेयरों की राशि	लाख में	400.00	100.00
	(ग) प्रत्येक शेयर का सममूल्य	₹	100.00	100.00
	(घ) (i) रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया शेयरों की संख्या	सं.	1,00,000	1,00,000
	(ii) वर्ष के दौरान आबंटित बोनस शेयरों की सं.	सं.	3,00,000	-
	(iii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की सं.	सं.	4,00,000	1,00,000
	(ङ.) प्रत्येक वर्ग के शेयर से जुड़े हुए अधिकार, अधिमान तथा प्रतिबंध जिसमें लाभांश के बँटवारे एवं पूंजी का प्रतिदान पर प्रतिबंध शामिल हैं।		**इक्विटी शेयर:** कंपनी के अंतर्नियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर- धारकों के एक शेयर के एवज में एक मत के मताधिकार सहित), सभी अधिमान एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक महासभा में घोषणा पर निर्भर करता है। पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% लाभांश के रूप में भारत सरकार को वितरित किया जाता है एवं पूंजी का प्रतिदान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है।	**इक्विटी शेयर:** कंपनी के अंतर्नियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर-धारकों के एक शेयर के एवज में एक मत के मताधिकार सहित), सभी अधिमान एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक महासभा में घोषणा पर निर्भर करता है। पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% लाभांश के रूप में भारत सरकार को वितरित किया जाता है एवं पूंजी का प्रतिदान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है।
	(च) धारित शेयरों की सं. का उल्लेख करते हुए कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले		प्रत्येक 100 रूपए के सभी 4,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर शत-प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति एवं उनके प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र सरकार (भारत सरकार) द्वारा धारित हैं।	प्रत्येक 100 रूपए के सभी 1,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर शत-प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति एवं उनके प्रतिनिधि के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित हैं।

ख	**रिजर्व तथा अधिशेष:**		
	(क) सामान्य रिजर्व:		
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया राशि	1,08,595.00	93,595.00
	घटाइए: बोनस शेयर जारी होने के कारण शेयर पूंजी में अंतरण	(300.00)	-
	जोड़िए: चालू वर्ष के लाभ से अंतरण	15,100.00	15,000.00
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि	**1,23,395.00**	**1,08,595.00**
	(ख) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप निधि:		
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया राशि	275.00	-
	जोड़िए: चालू वर्ष के लाभ से अंतरण	530.10	325.00
	घटाइए: वर्ष के दौरान भुगतान	(80.00)	(50.00)
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि	**725.10**	**275.00**
	(ग) अधिशेष:		
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया राशि	39.98	6.59
	जोड़िए: चालू वर्ष का लाभ	20,509.87	20,049.88
	जोड़िए: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप हेतु व्यय	80.00	-
		20,629.85	20,056.47
	घटाइए:		
	सामान्य रिजर्व में अंतरण	(15,100.00)	(15,000.00)
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व में अंतरण (सी.एस.आर. एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप हेतु बजट - आबंटन)	(530.10)	(325.00)
	प्रस्तावित लाभांश	(4,112.00)	(4,010.00)
	वितरित लाभ पर कर	(837.12)	(681.50)
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि	**50.63**	**39.97**
		1,24,170.73	**1,08,909.97**
ग	**अन्य दीर्घावधि देयताएँ:**		
	(क) अन्य वाणिज्य देय	14.90	103.45
	(ख) अन्य	76,791.52	89,745.19
		76,806.42	**89,848.64**
घ	**दीर्घावधि प्रावधान:**		
	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) उपदान के लिए प्रावधान	12.63	6.50
	(ii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	17.36	13.45
		29.99	**19.95**
ङ	**अन्य चालू देयताएँ:**		
	(क) अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	22,869.49	21,955.46
	(ख) ग्राहकों से अग्रिम	8,782.77	8,579.07
	(ग) सांविधिक देयताएँ	861.64	441.23
	(घ) आयकर (आकलित) देय	737.37	-
	(ङ) व्यय के लिए लेनदार	1,163.61	125.81
	(च) परियोजना व्यय के लिए लेनदार	-	57.85
	(छ) अन्य देयताओं के लिए लेनदार	1,152.23	25,957.11
		35,567.11	**57,116.53**
च	**अल्पावधि प्रावधान:**		
	(क) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1.50	1.42
	(ख) उपदान के लिए प्रावधान	0.35	0.36
	(ग) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	4,112.00	4,010.00
	(घ) वितरित लाभ पर कर के लिए प्रावधान	837.13	681.50
		4,950.98	**4,693.28**

छ	**मूर्त परिसंपत्ति:**		
	(i) (क) भवन	1,297.86	1,236.14
	(ख) फर्नीचर एवं उपकरण	189.14	209.09
	(ग) कम्प्यूटर	14.81	15.60
	(घ) कार्यालय उपकरण	20.29	36.85
	(ङ) संचारजाल उपकरण	1.12	1.46
		1,523.22	**1,499.14**
	(ii) व्यापार के संयोजन द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा हानिकारक क्षति/प्रतिवर्तन को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल व निवल राशि का समाधान	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा
ज	**अमूर्त परिसंपत्ति:**		
	(i) (क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	4.21	10.05
	(ii) व्यापार के संयोजन द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा हानिकारक क्षति/प्रतिवर्तन को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल व निवल राशि का समाधान	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा
झ	**दीर्घावधि ऋण व अग्रिम :**		
	(असुरक्षित- खरे माने गए)		
	(क) सुरक्षा जमा	5,013.99	5,015.09
	(ख) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	0.26	0.26
	(ग) कर्मचारियों के अग्रिम पर जमा ब्याज	0.13	0.11
	(घ) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	1.11	1,344.20
	(ङ) कर - वापसी बकाया	15,482.78	12,018.98
	(च) विरोध के तहत कर भुगतान	8,845.09	912.47
	(छ) वाणिज्य लेनदारों को अग्रिम	39,392.72	32,175.19
	(ज) व्यय के लिए अग्रिम	5.30	5.41
		68,741.38	**51,471.71**
ञ	**चालू निवेश**		
	म्यूचुअल फण्ड में निवेश:		
	(लागत पर - अवाणिज्यिक - अनुद्धृत)		
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ. एफएमपी श्रृंखला 62-456डी. सीधी वृद्धि योजना (विगत वर्ष में, ₹10/-प्रति यूनिट की दर से 1,65,83,722 यूनिट में निवेश किया गया; विगत वर्ष के अंत में ₹10.8375 की दर से निवल परिसंपत्ति मान (एन.ए.वी). ₹17,97,26,087 रहा)	-	1,658.37
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ. एफएमपी श्रृंखला 66-371डी. सीधी वृद्धि योजना (विगत वर्ष में, ₹10/-प्रति यूनिट की दर से 2,00,00,000 यूनिट में निवेश किया गया; विगत वर्ष के अंत में ₹10.5834 की दर से निवल परिसंपत्ति मान (एन.ए.वी). ₹21,16,68,000 रहा)	-	2,000.00
	एसबीआई ऋण फण्ड श्रृंखला 25 - 366 दिन - एफएमपी (विगत वर्ष में, ₹10/-प्रति यूनिट की दर से 2,20,81,400 यूनिट में निवेश किया गया; विगत वर्ष के अंत में ₹10.8625 की दर से निवल परिसंपत्ति मान (एन.ए.वी). ₹23,98,59,207 रहा)	-	2,208.14
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ. लिक्विड फंड-सीधी-वृद्धि योजना (विगत वर्ष में, ₹2211.1875/- प्रति यूनिट की दर से 70,200.6402 यूनिट में निवेश किया गया; विगत वर्ष के अंत में ₹2324.9326 की दर से निवल परिसंपत्ति मान (एन.ए.वी). ₹16,32,11,757 रहा)	-	1,552.27
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड-सीधी योजना-वृद्धि (विगत वर्ष में, ₹2014.8907/- प्रति यूनिट की दर से 1,34,282.185 यूनिट में निवेश किया गया; विगत वर्ष के अंत में ₹2014.8907 की दर से निवल परिसंपत्ति मान (एन.ए.वी).₹27,08,82,416 रहा)	-	2,705.64

		यूटीआई लिक्विड नकद योजना-इंस्ट-सीपी योजना-वृद्धि (विगत वर्ष में, ₹2100.9305/- प्रति यूनिट की दर से 2,23,308.440 यूनिट में निवेश किया गया; विगत वर्ष के अंत में ₹2103.8304 की दर से निवल परिसंपत्ति मान (एन.ए.वी). ₹46,98,03,087 रहा)	-	4,691.56
		म्यूचुअल फंड में अनुद्धृत, अवाणिज्यिक वर्तमान निवेश की कुल राशि	-	14,815.98
ट		**व्यापार प्राप्तियाँ :**		-
	(क)	भुगतान की तिथि से छः महीने से अधिक समय से बकाया व्यापार प्राप्तियाँ		-
				-
		(i) सुरक्षित-खरे माने गये	708.28	1,339.14
		(ii) असुरक्षित-खरे माने गये	24,838.54	17,149.50
		(iii) संदिग्ध माने गए	4,625.55	3,706.61
			30,172.37	**22,195.25**
		घटाइए : संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	(4,625.55)	(3,706.61)
			25,546.82	**18,488.64**
	(ख)	अन्य ऋण		
		(i) सुरक्षित-खरे माने गये	9,678.44	6,178.68
		(ii) असुरक्षित-खरे माने गये	31,921.89	37,067.83
			41,600.33	**43,246.51**
			67,147.15	**61,735.15**
ठ		**नकद एवं बैंक शेष**		
		(i) नकद एवं नकद समकक्ष:		
		(क) बैंक में शेष	9,843.68	9,294.18
		(ख) नकद	0.13	0.09
		(ग) कार्मिकों के पास अग्रदाय नकद	0.09	0.11
		(ii) अन्य बैंक शेष		-
		(क) 12 महीने या उससे कम समय में परिपक्व होने वाली बैंक में 3 महीने से अधिक की जमा राशि	1,17,000.00	79,780.00
		(ख) लाभांश भुगतान के लिए चिह्नित बैंक में शेष	0.05	0.06
		(ग) सी.एस.आर. एवं एस.ए. के लिए चिह्नित बैंक में शेष	195.84	-
		(घ) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाला बैंक जमा	3,700.00	23,501.00
		(ङ) जारी प्रत्याभूति के विरुद्ध प्रतिभूति एवं प्रतिभूति जमा के बदले में 12 महीने की परिपक्वता से अधिक समय के लिए बैंक में रखी गई राशि	3,589.16	1,281.96
			1,34,328.95	**1,13,857.40**
ड		**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम:**		
		(असुरक्षित-खरे माने गये)		
		(क) व्यय के लिए अग्रिम	58.49	336.45
		(ख) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	16,284.59	37,245.00
		(ग) अन्य वसूली	57.39	9.55
			16,400.47	**37,591.00**
ढ		**अन्य चालू परिसंपत्ति**		
		(असुरक्षित-खरे माने गये)		
		(क) बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज	7,452.39	5,731.67
		(ख) निविष्ट सेवा कर	3,677.18	2,157.25
			11,129.57	**7,888.92**

नोट - जी का अनुबंध - मूर्त परिसंपत्ति

[₹लाख में]

क्रम सं.	विवरण	सकल निरुद्ध (लागत)				मूल्यहास [उपयोगी अवधि में (एस.एल.एम.)]						निवल मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	
		31.03.14 के अनुसार	जोड़	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 तक	वर्ष के लिए	पिछले वर्ष के लिए	प्रारंभिक अवधारित आय (ओ.आर.ई.) में समायोजन	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन	31.03.15 तक	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार
1	भवन	1,357.81	92.50	-	1,450.31	121.67	23.71	8.14	(1.07)	-	152.45	1,297.86	1,236.15
2	फर्नीचर और उपकरण	346.35	10.72	58.67	298.39	137.26	24.86	-	1.09	53.96	109.25	189.14	209.09
3	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण	81.77	16.91	22.31	76.37	66.17	16.14	-	0.80	21.56	61.55	14.82	15.60
4	कार्यालय उपकरण	66.86	0.52	25.21	42.17	30.01	8.00	-	2.46	18.58	21.89	20.28	36.85
5	संचारजाल उपकरण	1.61	-	-	1.61	0.16	0.34	-	-	-	0.49	1.12	1.45
	कुल	**1,854.40**	**120.65**	**106.19**	**1,868.85**	**355.27**	**73.05**	**8.14**	**3.28**	**94.10**	**345.63**	**1,523.22**	**1,499.14**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	1,770.78	87.22	3.59	1,854.41	229.62	128.78	-	-	3.13	355.27	1,499.14	1,541.16

नोट - 1) व्यापार संयोजन तथा हानिकारक क्षति/ प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है।

2) भवन का निर्माण अ.वि., भारत सरकार द्वारा वार्षिक किराये के आधार पर पट्टे पर दी गई भूमि पर, किया गया है। प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए या किसी बढ़ाई गई अवधि तक के लिए दि. 01.02.2009 से 10 वर्ष की और अतिरिक्त अवधि के लिए पट्टे की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी।

3) भवन की लागत में, भवन में निर्मित ₹353.42 लाख का विद्युत (संबद्ध एवं समावेशित) कार्य, एयर कंडीशनर शामिल है और भवन पर लागू होने वाले दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

4) 106.19 लाख के निपटान/बहिष्कृत समायोजन में, इसरो मु. में छोड़ दी गई स्थायी परिसंपत्ति - 68.32 लाख (डब्ल्यू.डी.वी.- 61.72 लाख); अप्रयुक्त स्थायी परिसंपत्ति- 3.30 लाख (डब्ल्यू.डी.वी.- 2.82 लाख) एवं गुमनाम स्थायी संपत्ति- 11.76 लाख (डब्ल्यू.डी.वी.- 10.67लाख) शामिल है। तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि को बिक्री नहीं की गई रद्दी के रूप में बची अप्रयुक्त स्थायी संपत्ति का प्राप्य मान का तर्कसंगत ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

नोट - एच का अनुबंध - अमूर्त परिसंपत्ति

[₹लाख में]

क्रम सं.	विवरण	सकल निरुद्ध (लागत)				नीति मानक ए.एस. 26 के अंतर्गत परिशोधन (सरल रेखा पद्धति)						निवल योजित मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	
		31.03.14 के अनुसार	जोड़	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 तक	वर्ष के लिए	पिछले वर्ष के लिए	प्रारंभिक अवधारित आय (ओ.आर.ई.) में समायोजन	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन	31.03.15 तक	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	26.25	5.64	18.41	13.49	16.20	4.61	-	-	11.53	9.28	4.21	10.05
	कुल	**26.25**	**5.64**	**18.41**	**13.49**	**16.20**	**4.61**	-	-	**11.53**	**9.28**	**4.21**	**10.05**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	23.63	2.62	-	26.25	10.75	5.45	-	-	-	-	10.05	12.88

नोट - व्यापार के संयोजन तथा हानिकारक क्षति/ प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा के भाग के रूप में नोट

(₹ लाख में)

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03.2015 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2014 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
1	**प्रचालनों से राजस्व:**			
	(क) उत्पादों की बिक्री:			
	(i) निर्यात		1,343.42	356.12
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल लाभ/ (हानि) तथा निर्यात से संबंधित अंतरण		(3.35)	(25.80)
			1,340.07	330.32
	(ii) अन्तर्देशीय बिक्री		20,991.55	20,132.29
	(ख) सेवाओं की बिक्री:			
	(i) विदेशी परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		210.16	117.25
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एफसीएस से संबंधित अंतरण		-	16.99
			210.16	134.24
	(ii) अन्तर्देशीय परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		2,806.42	232.52
	(ग) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व:			
	(1) विदेशी प्राप्तियाँ:			
	(i) अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		1,330.03	530.89
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एएफआर से संबंधित अंतरण		9.59	46.55
			1,339.62	577.44
	(ii) मेज़बान सुविधा प्राप्तियाँ		25,776.16	10,530.80
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एचएफआर से संबंधित अंतरण		2,108.19	(389.54)
			27,884.35	10,141.26
	(iii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		10.05	119.34
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एसएससीसी से संबंधित अंतरण		0.14	0.66
			10.19	120.00
	(iv) निर्यात प्रोत्साहन		60.80	53.92
	(2) अन्तर्देशीय प्राप्तियाँ:			
	(i) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		1,17,112.53	1,16,012.66
			-	-
			1,71,755.69	**1,47,734.65**
2	**अन्य आय:**			
	(क) ब्याज से प्राप्त आय			
	(i) बैंक में जमा राशि पर		11,523.51	9,747.04
	(ii) कर्मचारियों को अग्रिम पर		0.02	-
	(iii) व्यापार - प्राप्तियों पर		1,432.81	110.48
	(iv) करों के पूर्व भुगतान पर		469.55	-
	(ख) निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या/हानि			

	(i) म्यूचुअल फंड निवेश पर दीर्घावधि पूँजीगत लाभ		536.02	656.00
	(ii) म्यूचुअल फंड निवेश पर अल्पावधि पूँजीगत लाभ		95.98	92.98
	(iii) म्यूचुअल फंड निवेश पर अल्पावधि पूँजीगत हानि			(42.83)
	(ग) म्यूचुअल फंड निवेश पर लाभांश प्राप्तियाँ		804.14	782.03
	(घ) विदेशी मुद्रा पर निवल लाभ/(हानि) तथा बकाया देयताओं एवं परिसम्पत्ति से संबंधित अंतरण		(1,005.52)	(95.99)
	(ङ) देयता जिसको आगे वापस करने की आवश्यकता न हो		16.22	43.54
	(च) संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान जिसमें आगे वापस करने की आवश्यकता न हो		432.59	-
	(छ) विविध आय		9.99	24.30
			14,315.31	**11,317.55**
3	**प्रचालन से राजस्व की लागत**			
	(क) विक्रय की लागत			
	(i) निर्यात की लागत		1,046.78	216.29
	(ii) अंतर्देशीय बिक्री की लागत		21,031.29	17,488.77
	(ख) सेवाओं की लागत			
	(i) विदेशी परामर्शिता प्राप्तियों की लागत		151.77	71.30
	(ii) अंतर्देशीय परामर्शिता प्राप्तियों की लागत		2,481.06	189.19
	(ग) अन्य राजस्व की लागत			
	विदेशी प्राप्तियों के लिए			
	(i) अभिगम शुल्क की लागत तथा रॉयल्टी प्राप्तियाँ		639.50	475.12
	(ii) मेजबान सुविधा प्राप्तियों की लागत		19,009.51	6,342.41
	(iii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियों की लागत		8.54	101.43
	अंतर्देशीय प्राप्तियों के लिए			
	(i) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियों की लागत		1,04,386.72	1,04,052.74
			1,48,755.17	**1,28,937.25**
4	**कर्मचारियों के लाभ पर व्यय**			
	सी.एम.डी. को पारिश्रमिक		19.56	18.58
	ई.डी. को पारिश्रमिक		9.31	16.32
	निदेशकों का बैठक शुल्क		2.41	0.39
	वेतन		41.66	42.10
	सार्वजनिक भविष्य निधि के लिए योगदान		-	1.33
	कर्मचारी कल्याण		13.54	12.35
	छुट्टी यात्रा रियायत		2.87	4.00
	छुट्टी नकदीकरण का भुगतान		0.17	3.87
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान		3.99	-
	भुगतान किया गया उपदान		-	3.39
	उपदान प्रावधान		6.12	-
	स्थापना व्यय		236.97	188.50
	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय		0.05	-
			336.65	**290.83**

5	अन्य व्यय:			
	यात्रा व्यय		61.94	28.78
	सवारी और टैक्सी भाड़ा		25.60	23.25
	मुद्रण और लेखन सामग्री		7.62	8.39
	संचार संबंधी व्यय		32.36	30.63
	कानूनी शुल्क एवं व्यय		2,208.92	1,035.08
	व्यावसायिक शुल्क		28.61	19.92
	महसूल तथा कर		0.71	0.03
	विज्ञापन एवं प्रचार		14.98	1.65
	सदस्यता एवं अभिदान		3.49	2.83
	संगोष्ठि, सम्मेलन तथा बैठक संबंधी व्यय		11.06	11.94
	प्रदर्शनी व व्यवसाय मेला		46.56	-
	स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री से हानि		1.10	-
	बहिष्कृत स्थायी परिसंपत्ति		15.05	-
	पट्टे का किराया		0.10	0.10
	वर्ष के दौरान दिए गए आय कर निर्धारण आदेश के अनुरूप पिछले वर्ष में प्राप्त ब्याज पर कर की वापसी		134.75	-
	करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज		211.32	200.12
	बैंक शुल्क		12.25	10.40
	बैंक गारंटी तथा एल सी शुल्क		26.75	1.11
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य		16.44	12.98
	लेखा परीक्षण के लिए भुगतान:			
	- लेखा परीक्षकों के रूप में		2.15	1.85
	- सेवा कर के लिए		0.27	0.23
	- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.23	0.12
	विगत वर्ष के लेखा परीक्षकों को भुगतान:			
	- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.46	-
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों हेतु व्यय:			
	- गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के लिए योगदान		30.00	-
	- जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री राहत कोष में बाढ़ राहत एवं पुनर्वास कार्य के लिए योगदान		50.00	-
	विविध व्यय		102.39	17.60
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान		1,351.52	469.27
			4,396.63	**1,876.28**
6	**पूर्वावधि मद**			
	पूर्वावधि मदों में जमा			
	अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		297.50	891.68
	अंतर्देशीय परामर्शिता प्राप्तियाँ		-	6.72
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		-	379.10
	निर्यात		-	91.18
	आतिथ्य सुविधा प्राप्तियाँ		-	4.18
	बैंक में जमा पर ब्याज से आय		-	1.39

	प्रतिवर्तित निर्यात लागत		-	2.53
	प्रतिवर्तित अंतरिक्ष खंड शुल्क लागत		10.16	681.42
	प्रतिवर्तित अंतर्देशीय परामर्शिता प्राप्तियों की लागत		-	2.47
	प्रतिवर्तित अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियों की लागत		-	105.05
	प्रतिवर्तित आतिथ्य सुविधा प्राप्तियों की लागत		29.59	4.49
	व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से आय		-	51.64
	कर्मचारी कल्याण (पी.एस.आई. में किए गए अधिक योगदान की वापसी)		-	0.03
			337.25	**2,221.88**
	पूर्वावधि मदों में नामे			
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ प्रतिवर्तित		-	250.38
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित अभिगम शुल्क प्राप्तियाँ प्रतिवर्तित		264.20	-
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित निर्यात प्रतिवर्तित		-	1.82
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित आतिथ्य सुविधा प्राप्तियाँ प्रतिवर्तित		-	0.30
	निर्यात की लागत		-	1.24
	अंतरिक्ष खंड शुल्क प्राप्ति की लागत		-	84.78
	आतिथ्य सुविधा प्राप्ति की लागत		2.09	0.13
	अभिगम शुल्क प्राप्ति की लागत		5.06	-
	अंतर्देशीय परामर्शिता प्राप्ति की लागत		-	39.40
	विदेशी परामर्शिता प्राप्ति की लागत		-	3.93
	यात्रा व्यय		2.62	2.81
	बैंक गारंटी कमीशन		-	0.40
	कानूनी शुल्क		2.50	-
	संचार व्यय		-	0.01
	प्रमोचन प्रचालन सेवा के लिए सेवा कर		12.05	-
	मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य		-	3.70
	सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज		-	0.92
	स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री से हुई हानि		2.24	-
	सदस्यता एवं अभिदान		-	3.19
	विविध (सामान्य) व्यय		-	0.12
	स्थापना व्यय (प्रतिभूति शुल्क)		-	0.06
	मुद्रण एवं लेखा सामग्री		-	0.66
	सवारी और टैक्सी भाड़ा		-	6.72
	वर्ष के अंत में मुद्रा-अंतरण-परिसंपत्ति एवं देयताएँ		-	1.29
			290.76	401.86
	निवल जमा		**46.49**	**1,820.02**
7	**कर व्ययः**			
	(i) आस्थगित कर			
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)		319.23	163.43
	वर्ष के दौरान प्रतिलोम आस्थगित कर (व्यय/बचत)		(2,744.39)	50.32
			(2,425.16)	**213.75**

नोट - O

लेखा विधि संबंधी नीतियाँ

1) **सामान्य:**

कम्पनी चालू संस्था, एकरूपता और लेखा की उपचित पद्धति नामक मूलभूत लेखा-विधि का अनुपालन करती है जब तक लेखा विधि संबंधी नीति में अन्यथा न कहा गया हो।

2) **आय:**

(i) बिक्री:

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहक को अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि, भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई, तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपुर्दगी के लिए चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी। और, यदि सुपुर्दगी संस्थापना/निरीक्षण किये जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार न कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) सेवाएँ :

(क) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण एवं निर्माण कार्य:

संविदा (ठेका) में विनिर्दिष्ट लागत के संदर्भ के अनुरूप काम के क्रमवार पूरा होने के बाद ही राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क स्वीकार किए जाते हैं।

(ख) अभिगम शुल्क, अंतरिक्षखंड शुल्क, दूरमिति अनुवर्तन और आदेश, कक्षीय जाँच, आदि:

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क सेवा के पूरा होने पर एकबारगी या आवर्ती सेवा प्रदान करने की संविदा (ठेका) के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) परामर्शिता :

राजस्व, सेवा के पूर्ण होने पर एकबारगी या परामर्शिता संविदा की प्रकृति के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) सम्मिश्र ठेका :

सम्मिश्र ठेके की प्रत्येक मद के लिए राजस्व उपर्युक्त (i) से (iii) की मदों के प्रति उल्लिखित नीति के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं।

(v) अन्य आय :

(क) ब्याज:

ब्याज से आय प्रोदभवन के आधार पर स्वीकार की गई है। जबकि, व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय को संविदा के अनुसार समय के समानुपात के आधार पर भुगतान होने पर ही स्वीकार किया जाता है।

(ख) रॉयल्टी:

रॉयल्टी का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा गया है।

(ग) निवेश से प्राप्त लाभांश:

भुगतान पाने के लिए जब कम्पनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(घ) विदेशी मुद्रा-विनिमय में उतार-चढ़ाव:

प्रचालन से प्राप्त राजस्व के संबंधित मूल्य में विदेशी मुद्रा में होनेवाले अंतर को समाहृत किया गया है।

3) **व्यय :**

अं.वि./इसरो को देय निर्यात लागत, विदेशी (अन्य) प्राप्तियाँ, अन्तर्देशीय बिक्री तथा अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियों का लेखा-जोखा, अं.वि./इसरो तथा कम्पनी के बीच परस्पर सहमति और स्वीकृति के अनुसार किया गया है।

4) **स्थायी परिसम्पत्ति:**

इतिवृत्तीय लागत के आधार पर स्थायी परिसंपत्ति का लेखा-जोखा रखा गया है।

5) **मूल्यह्रास-ए.एस.-6:**

सिवाय अमूर्त परिसंपत्ति के, स्थायी परिसम्पत्ति के लिए मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के तहत प्रदान किया गया है। ₹ पाँच हजार से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मान परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% है और अन्य सभी परिसंपत्ति के लिए शेष मान परिसंपत्ति की मूल लागत का 1% है।

6) **अमूर्त परिसंपत्ति- ए.एस.26 के अन्तर्गत परिशोधन व्यय:**

अमूर्त परिसंपत्ति सरल रेखा विधि के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित की जाती हैं जबकि सॉफ्टवेयर से संबंधित परिसंपत्ति प्रयोग की उपलब्धता की तिथि से अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए या फिर अनुज्ञप्ति अवधि या विधिक अधिकारों, इनमें जो भी पहले हो, के तहत निर्धारित अवधि के लिए ही परिशोधित की जाती हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाएगी और यदि पिछले आकलन की तुलना में परिसंपत्ति के वर्तमान उपयोगी जीवन में अपेक्षित अंतर नजर आता है तो परिशोधन की अवधि में यथानुसार बदलाव लाया जाएगा।

7) **मुद्रा दर अन्तरण-ए.एस-11:**

विदेशी मुद्रा विनिमय में किये गये लेन-देन का लेखा-जोखा अंतरण-दिन के विनिमय दर के आधार पर रखा गया है। लाभ तथा हानि लेखा में धन-राशि प्राप्त करने या उसका भुगतान करते समय विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का हिसाब रखा गया है। वर्षांत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन से संबंधित और आर्थिक परिसम्पत्ति एवं देयताएँ, जिनका निपटान नहीं किया गया, उनका वर्षांत में लागू विनिमय दर अथवा तदनन्तर निपटान की गई दर पर मूल्य निर्धारित किया गया है और सिवाय, संदिग्ध समझे जाने वाले विदेशी मुद्रा अंतर में बचे हुए ऋण जिसे संदिग्ध माने जाने पर विनिमय दर पर उल्लिखित किया जाता है।

8) **उक्त अवधि के लिए लाभ या हानि, पूर्वावधि मद एवं लेखा-विधि नीतियों ए.एस.-5 में परिवर्तन:**

एक या अधिक पूर्वावधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय होने वाली भूल या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उद्भूत होनेवाली अवधि पूर्व की मदों को आय व व्यय के रूप में तभी स्वीकृत किया जाता है जब आय और व्यय की ऐसी मद प्रत्येक आहरण में ₹ 2 लाख से अधिक हो जाती है।

9) **परिसम्पत्ति की अपसामान्य हानि - ए.एस.28:**

परिसंपत्ति को अपसामान्य तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति की अग्रेनीत लागत उसके वसूली मूल्य से ज्यादा होती है। इस अपसामान्य हानि को उस वर्ष की लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया जाता है जिस वर्ष की परिसंपत्ति को अपसामान्य माना जाता है। पिछली लेखा अवधि के दौरान पाई गई अपसामान्य हानि को वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर प्रतिवर्तित कर दिया जाता है।

10) **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्ति- ए.एस.-29:**

ऐसे प्रावधान, जिनमें मापन में अनुमान की पर्याप्त निहित मात्रा को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण वर्तमान देयता बनती है और संसाधन का बहिर्गमन संभव होता है। आकस्मिक देयताओं को स्वीकृत नहीं किया गया है परन्तु टिप्पणियों में दिखाया गया है। आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो स्वीकृत किया गया है और न ही वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।

11) **संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान:**

संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान सामान्यतया ऐसे ऋणों के लिए किया जाता है जो तीन साल से ज्यादा वर्षों से बकाया हैं सिवाय केन्द्रीय/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग और केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा देय हैं, जिसके लिए प्रावधान प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

12) **निवेश:**

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, निवेश को "दीर्घकालीन निवेश" तथा "चालू निवेश" में वर्गीकृत किया गया है । चालू निवेश के लिए अग्रेनीत राशि, लागत तथा सही मूल्य से न्यूनतर होता है जिसका निर्धारण व्यक्तिगत निवेश या निवेश के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है न कि समग्र (या वैश्विक) आधार पर। दीर्घकालीन निवेश को लागत के आधार पर अग्रेनीत किया जाता है। हालाँकि, अस्थायी के अलावा, जब दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में ह्रास होता है, तब अग्रेनीत राशि को ह्रास के अनुरूप कम कर दिया जाता है। किसी निवेश को बेचने पर, उसकी अग्रेनीत राशि और बिक्री से प्राप्त धन के अन्तर (लाभ या हानि), निवल व्यय, को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

नोट - पी

लेखा के भाग के रूप में अन्य नोट

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
1	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:**		
	(जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो)		
	I) **आकस्मिक देयताएँ:**		
	(क) निम्नांकित कारणों से कम्पनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :-		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय बिक्री कर। इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू), विरोध के तहत ₹912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹5,000.00 लाख की राशि जमा की गई।	37,321.41	37,321.41
	(ii) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित सेवा कर। इन माँगों के प्रति, विरोध के तहत ₹1,740.96 लाख (पिछली रिपोर्टिंग अवधि-शून्य) का भुगतान किया गया।	5,626.01	106.00
	(iii) परिसमापित क्षति	2,189.00	2,189.00
	(ख) गारंटी:	कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष के एवज में अन्य व्यक्ति को ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।	कंपनी द्वारा ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:		
	1. कारण बताओ नोटिस के प्रति:		
	(i) सेवा कर (इसके प्रति, विरोध के तहत ₹5,670.13 लाख की राशि का भुगतान किया गया)	5,964.16	शून्य
	(ii) विरोध के तहत विवादित सेवा कर के भुगतान की तिथि तक सेवा कर पर ब्याज एवं शास्ति	15,316.77	शून्य
	2. बकाया तिथि से भुगतान की तिथि तक विरोध के तहत सेवा कर के ऐच्छिक भुगतान पर ब्याज	43.24	शून्य
	II) **प्रतिबद्धताएँ:**		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाना है तथा जिसके लिए प्रावधान न किया गया है;	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ (बिक्री एवं सेवा के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ)	1,14,401.62	1,60,985.75
2	(i) उक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि:	4,112.00	4,010.00
	(ii) प्रति शेयर संबंधित राशि:	0.01	0.04
3	बोर्ड की राय में, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में, जब उल्लिखित राशि मूल राशि के लगभग बराबर हो तब स्थायी परिसंपत्ति एवं दीर्घकालीन निवेश के अलावा अन्य किसी परिसंपत्ति का कोई प्रापण मूल्य नहीं होता।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापार के प्रकिया के क्रम में प्राप्य होगा।

4	क) भण्डार व कल-पुर्जों का उपभोग i) आयातित ii) स्वदेशी प्रापण	कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार को प्रकटन से छूट के लिए आवेदन किया है।	दिनांक 01.10.2014 को कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/4/2014-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।
	ख) वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आइ.एफ. आधार पर निम्नांकित के संबंध में आयात के मूल्य का परिकलन किया जाता है:- I. कच्चा माल; II. घटक एवं कलपुर्जे; III. पूँजीगत माल;	-वही-	-वही-
	ग) वित्त वर्ष के दौरान रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क, ब्याज तथा अन्य मामले की मद में विदेशी मुद्रा में व्यय;	-वही-	-वही-
	घ) वित्त वर्ष के दौरान उपभोग किये गये सभी आयातित कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक तथा इसी तरह उपभोग किये गये सभी स्वदेशी कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में प्रत्येक का प्रतिशत।	-वही-	-वही-
	ङ) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में प्रेषित लाभांश की राशि जिसमें अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या विशेष तौर से उल्लिखित हो, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिन पर लाभांश बाकी हो और वर्ष, जिससे लाभांश संबंधित हो।	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-
	च) निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में अर्जित आय का निम्नवत वर्गीकरण:- i. एफ.ओ.बी. के आधार पर माल के निर्यात का परिकलन;	कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार को प्रकटन से छूट के लिए आवेदन किया है।	दिनांक 01.10.2014 को कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/4/2014-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।
	ii. रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क;	-वही-	-वही-
	iii. ब्याज एवं लाभांश;	-शून्य-	-शून्य-
	iv. प्रकृति के अनुसार इंगित करते हुए, अन्य आय	-शून्य-	-शून्य-

5. वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर का ब्योरा इस प्रकार है:

विवरण	वर्षांत की मुद्रा विनिमय दर (₹लाख में)	नामे/ जमा	लाभ और हानि लेखा
बैंक ईईएफसी चालू खाते, परिसंपत्ति एवं देयताएँ	1,005.52	नामे	विविध आय में नामे किया गया
	(95.99)	नामे	(विविध आय में नामे किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

6. 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि में, केनरा बैंक में, ₹0.37 लाख (पिछले वर्ष में ₹0.34 लाख) की सावधि जमा शामिल है जो प्रतिभूति जमा के एवज में "सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, जिला-"V"सर्कल, बेंगलूरु के ग्रहणाधिकार के तहत" है।

7. 13,00,000 यूरो, 90,000 अमेरिकी डॉलर एवं 26,00,000 यूरो के कुल समतुल्य ₹2,725.13 लाख (पिछले वर्ष 90,000 अमेरिकी डॉलर एवं 13,00,000 यूरो के कुल समतुल्य ₹1,139.41लाख) की राशि के लिए कम्पनी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी के एवज में कम्पनी ने ₹3,588.79 लाख (पिछले वर्ष ₹1,281.63 लाख) सावधि जमा के रूप में बैंक में अमानत के तौर पर जमा किए। हालाँकि कम्पनी, उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर के आधार पर ब्याज अर्जित कर रही है। अभी, ए.एस.-29 में दी गई परिभाषा के आधार पर "प्रावधान" की ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और इस कारण उक्त ए.एस. के अनुच्छेद 66 एवं 67 के अन्तर्गत प्रकटन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

8. **विवादों के विवरण:**

(i) के.वी.ए.टी. के तहत ₹20,102.42 लाख और सी.एस.टी. अधिनियम के तहत ₹493.14 लाख (कुल ₹20,595.56 लाख) जिसमें 01.04.2005 से 31.07.2008 तक की अवधि के लिए शास्ति एवं ब्याज भी शामिल है, की माँग के प्रति, कम्पनी ने वाणिज्यिक कर प्राधिकार के उक्त आदेश के प्रति कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी और कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने वाणिज्यिक कर विभाग की माँग का समर्थन करते हुए आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश से आहत होकर कम्पनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 12.03.2010 को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसके तहत कम्पनी को कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग को ₹5000 लाख की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। कम्पनी ने के.वी.ए.टी. के तौर पर ₹250 लाख की राशि एवं सी.एस.टी. के तौर पर ₹662.47 लाख की राशि कुल मिलाकर ₹912.47 लाख की राशि का वाणिज्यिक कर विभाग को 'विरोध के अंतर्गत' भुगतान किया जिसे दीर्घकालीन परिसंपत्ति-दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम के तहत प्रकट किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कम्पनी को भविष्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रतिवाद आदेश को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया, जिसको उसके दूसरे अंतरिम आदेश दिनांक 03.05.2010 द्वारा तदन्तर रोक दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार यह भी निर्देश दिया -"निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाही करने दिया जाए पर अगले आदेशों तक कोई वसूली न की जाए।" यह मामला विचाराधीन है।

(ii) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 के अनुसार निर्धारण अधिकारी ने 01.08.2008 से 31.03.2010 तक की अगली अवधि के लिए कम्पनी के राजस्व का निर्धारण किया और दिनांक 19.08.2010 को जारी किए गए आदेशानुसार ₹16,711.98 लाख के के.वी.ए.टी. का जुर्माना लगाया और इसे दिनांक 30.04.2012 को जारी आदेश द्वारा संशोधित कर ₹16,725.85 लाख कर दिया गया जिसमें ब्याज एवं शास्ति राशि शामिल हैं। कम्पनी ने इस निर्धारण आदेश के विरोध में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक आदेश याचिका (डब्ल्यू.पी.) सं.30308/2010 दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की है और यह मामला विचाराधीन है।

(iii) सेवा कर आयुक्त, वृहद करदाता यूनिट, बेंगलुरु ने 2003-2005 के दौरान कम्पनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं पर निर्माण, अभिचालन और स्थापना के तहत ₹53.00 लाख और ₹53.01 लाख की राशि के शास्ति के साथ, कुल मिलाकर, ₹106.01 लाख के सेवा कर की देयता का आदेश दिया है। इस आदेश के प्रति दिनांक 6.8.2010 को सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलुरु में अपील की गई थी। यह मामला दो बार क्रमशः दिनांक 08.10.2010 और दिनांक 07.01.2011 को न्यायालय के सामने आया और विवाद समिति (सी.ओ.डी.) के स्पष्टीकरण के लिए स्थगित किया गया। सी.ओ.डी. की बैठक दिनांक 27.01.2011 को हुई और उनके दिनांक 07.02.2011 के पत्र सं. सी.ओ.डी./08/2011 के अनुसार कम्पनी को सम्मति दी गई कि वह न्यायालय के सामने अपील दाखिल करे। दिनांक 12.01.2012 के स्थगन आदेश सं.51/2012 के अनुसार सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने पूर्व-क्षिप छोड़ दिया है एवं बकाया समायोजित कर दिया है तथा उसकी वसूली पर रोक लगा दी है। दिनांक 07.01.2013 के पत्र सं.V/15/एन्ट्रिक्स/16/2009-जी.एल.टी.-1 के अनुसार उपायुक्त, सेवा कर ने केन्द्रीय सेवा कर अधिनियम, 1944 के अनुच्छेद 35सी की उप धारा 2ए के अनुसार सी.ई.एस.टी.ए.टी. द्वारा लगाये गये रोक को हटाने के लिए सूचित किया जो कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अर्न्तगत सेवा कर में लागू किया गया है एवं ₹53.00 लाख के ब्याज सहित भुगतान के साथ-साथ ₹53.01 लाख की शास्ति की माँग की है। इस माँग के विरोध में कंपनी ने दिनांक 07.01.2013 के आदेश को खत्म करने का निवेदन करते हुए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.02.2013 के अपने आदेश में न्यायाधिकरण को अपील जल्दी से निपटाये जाने का निर्देश दिया और न्यायाधिकरण के दूसरे मामले के निपटारे की तिथि तक वसूली पर रोक लगा दी। मामला अभी न्यायाधिकरण में लंबित है। हालाँकि, सी.ई.एस.टी.ए.टी. के आदेश को पक्ष में न होने की संभावनाओं को देखते हुए तथा अधिक ब्याज देने से बचने के लिए कंपनी ने ₹53 लाख के विवादित सेवा कर की राशि को 'विरोध के तहत' सेवा कर विभाग को भुगतान कर दिया है।

(iv) आयुक्त, सेवाकर, बृहद करदाता यूनिट, बेंगलुरु ने दिनांक 18/04/2006 से 31/05/2007 तक "तार-संचार सेवाओं" के तहत तथा 01/06/2007 से 15/05/2008 तक "दूरसंचार सेवाओं" के तहत, विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाताओं को अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क दिए जाने पर ₹1,687.95 लाख के सेवाकर की उगाही की माँग की है" जिसके प्रति कंपनी ने "विरोध के तहत" ₹1,687.95 लाख सेवाकर भेज दिया है और सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु के समक्ष अपील दायर की है जिस पर सुनवाई जारी है।

(v) सेवाकर विभाग ने, अंतरिक्ष खंड शुल्क एवं प्रमोचन सेवाओं पर ₹20,419.93 लाख के सेवाकर, ब्याज एवं शास्ति के भुगतान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसके प्रति कंपनी ने अपना जवाब दाखिल किया है, सुनवाई में भाग लिया और आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। हालाँकि, और ब्याज देने से बचने के लिए कंपनी ने "विरोध के तहत" सेवाकर के एक भाग के रूप में ₹5,463.83 लाख की राशि सेवाकर विभाग को भेज दिया है।

(vi) सेवाकर विभाग ने, तार-संचार एवं दूरसंचार के तहत अंतरिक्ष खंड शुल्क, अभिगम शुल्क पर ₹861.00 लाख के सेवाकर,ब्याज एवं शास्ति के भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसके प्रति कंपनी ने अपना जवाब दाखिल किया है और सुनवाई तथा आदेश लंबित है। हालाँकि, और ब्याज, यदि कोई हो, देने से बचने के लिए कंपनी ने "विरोध के तहत" सेवाकर के एक भाग के रूप में ₹233.31 लाख की राशि सेवाकर विभाग को भेज दिया है।

(vii) केंद्र सरकार ने अपनी संप्रभु क्षमता के तहत कंपनी को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए एस.बैण्ड में कक्षीय स्लॉट प्रदान नहीं करने का नीतिगत निर्णय लिया। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (देवास) के साथ करार रद्द कर दिया गया। देवास ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य प्रकोष्ठ (आइ.सी.सी.), पेरिस के समक्ष मध्यस्थता कार्रवाही आरंभ किया और ₹7,00,480.00 लाख की राशि के नुकसान (₹43.78 के ठेका आधारित विदेशी मुद्रा विनिमय दर के हिसाब से 1.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य जिसमें 1(i) (क)(iii) में उल्लिखित ₹2,189 लाख का परिनिर्धारित नुकसान शामिल है) का दावा प्रस्तुत किया है। दिनांक 15 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान लंदन में अधिकारिता, देयता एवं गुणवत्ता पर आइ.सी.सी. की सुनवाई आयोजित हुई। न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार, दोनों पक्षों ने 16 फरवरी, 2015 तथा 23 मार्च, 2015 को सुनवाई के बाद के पक्षसार प्रस्तुत किए हैं। आइ.सी.सी. ने न्यायाधिकरण को अधिनिर्णय सुनाने के लिए 30 सितंबर, 2015 तक का समय दिया है। न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय प्रतीक्षित है। कंपनी ने, अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष देवास द्वारा शुरु की गई आइ.सी.सी. कार्यवाही पर व्यादेश के लिए प्रार्थना तथा देवास द्वारा मध्यस्थता का आह्वान करार के अनुरूप नहीं है, पर अधिनिर्णय के लिए मध्यस्थता आवेदन तथा मुकदमा दायर किया है। एन्ट्रिक्स ने अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय के समक्ष दायर मध्यस्थता याचिका (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996) तथा दीवानी मुकदमा में अपनी दलील पूरी कर ली है। मामले की सुनवाई की तारीख 09 अक्तूबर, 2015 को प्रस्तावित है।

9. कंपनी ने, विदेशी उपग्रहों को प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेवाकर अधिभारित करने की, सेवाकर प्राधिकरण की नीयत को विवादित मानती है। यद्यपि, दिनांक 01-10-2014 से 31-03-2015 तक की अवधि के लिए कंपनी ने "विरोध के तहत" ₹2,209.48 लाख की राशि के सेवाकर का स्वेच्छा से भुगतान किया है तथापि, उक्त सेवाकर के भुगतान की तिथि तक उस पर प्राप्त होने वाले ₹43.24 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

10. माँग के अनुरूप कर पर ब्याज एवं शास्ति आकस्मिक देयता राशि में शामिल है। विरोध के तहत विवादित करों के भुगतान की तिथि तक करों पर ब्याज तथा शास्ति भी आकस्मिक देयता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। हालाँकि, विवादित करों के भुगतान या माँग की तिथि से प्रोद्भूत होने वाले अगले ब्याज प्रस्तुत आकस्मिक देयता में शामिल नहीं हैं, जो भी कारण हो, इसे तर्कसंगत ढंग से आकलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुबंध का हिस्सा नहीं होगा और साथ ही, उपयुक्त प्राधिकरण या माननीय न्यायालय द्वारा विवाद के हल हो जाने तक आर्थिक बहिर्गमन कम होने की संभावना है।

11. जैसा कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत वस्तुओं के प्रत्येक वर्ग के परिमाण एवं समानुपाती मानों के प्रकटीकरण से छूट के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से आवेदन किया है, एवं उत्पादों की संवेदनशील प्रकृति तथा प्रचालन-क्षेत्र के मद्देनजर लेखा विधि मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग के तहत वर्तमान एवं विगत वित्त वर्षों के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

12. उपदान एवं छुट्टी नगदीकरण के प्रावधान लेखाविधि मानक (ए.एस.)-15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किये गये हैं और उनका प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

क. उपदान

(i) परिसंपत्ति तथा देयता (तुलन पत्र-स्थिति)

विवरण	31 मार्च 2015 को चालू रिपोर्टिंग अवधि के समापन तक के मान (₹लाख में)	31 मार्च 2014 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के समापन तक के मान (₹लाख में)
अनुबंध का वर्तमान मूल्य	12.98	6.86
नियोजित परिसंपत्ति का सही मूल्य	-	-
अमान्य अतीत सेवा लागत	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
निवल परिसम्पत्ति/(देयता)	(12.98)	(6..86)

(ii) लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत किये जाने वाले व्यय (₹लाख में)

लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत व्यय	6.12	0.72

(iii) अनुबंध के वर्तमान मूल्य एवं नियोजित परिसंपत्ति पर अनुभवजन्य समायोजन

नियोजित देयताओं पर (लाभ)/हानि (₹लाख में)	1.51	0.26
आरंभिक नियोजित देयताएँ का %	22.0%	2.8%
नियोजित परिसंपत्ति पर(लाभ)/हानि	0	0
आरंभिक नियोजित परिसंपत्ति का %	0	0
अगले वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम आकलन		शून्य

(iv) मूल्यांकित लाभ

मूल्यांकित लाभ के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

योजना के प्रकार	सुनिश्चित लाभ	
नियोक्ता का योगदान	100%	
कर्मचारियों का योगदान	शून्य	
उपदान की गणना हेतु वेतन (या मासिक परिलब्धि)	अंतिम आहरित मूल वेतन + महँगाई भत्ता	
उपदान सेवा	अर्ह सेवा के पूर्ण किए गए छः माह	
सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	
निहित अवधि	5 वर्ष	
सामान्य सेवानिवृत्ति का लाभ	अर्ह सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक छः माह की परिलब्धि की एक-चौथाई	
समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/सेवा-समापन/सेवा-परित्याग/सेवा वापसी का लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति के समान	
सेवाकाल में देहावसान का लाभ	सेवाकाल	देय जीवन-लाभ
	1 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धि का 2 गुना
	1 वर्ष और उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धि का 6 गुना
	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धि का 12 गुना
	20 वर्ष एवं अधिक	अर्ह सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक छःमाही की मासिक परिलब्धि का आधा
सामान्य सेवानिवृत्ति एवं सेवा-वापसी के निमित्त लाभ की सीमा	मासिक परिलब्धि का अधिकतम 16.5 गुना या ₹10.00 लाख, जो भी कम हो।	
देहावसान के निमित्त लाभ की सीमा	मासिक परिलब्धि का अधिकतम 33 गुना या ₹10.00 लाख, जो भी कम हो।	
पूर्णतया अनिधित/पूर्णतया निधित/आंशिक रूप से निधित योजना से उद्भावित सुनिश्चित लाभ अनुबंधका विश्लेषण	लागू नहीं (क्योंकि योजना का प्रकार सुनिश्चित लाभ है)	

(v) वित्तीय मान्यताएँ

मूल्यांकन में प्रयुक्त प्रमुख वित्तीय मान्यताएँ निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित हैं:

बट्टा-दर (प्रतिवर्ष)	7.80%	9.30%
वेतन-वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	प्रथम चार वर्षों में 11% एवं तदन्तर 7%	प्रथम चार वर्षों में 11% एवं तदन्तर 7%
नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित दर से प्रतिलाभ (प्रतिवर्ष)	0	0

(vi) **जनसांख्यिक मान्यताएँ**

मृत्यु दर (आइ.ए.एल.एम. 06-08 के % के रूप में)	100%	100%
वापसी दर, आयु-आधारित: (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	5%	5%
31 से 40 वर्ष तक	3%	3%
40 वर्ष से अधिक	2%	2%
मान्य चिकित्सीय लागत प्रवृत्ति दरों मं 1 प्रतिशत बिंदु से वृद्धि और कमी का प्रभाव		लागू नहीं

(vii) **सदस्यता - स्थिति का सार**

कर्मचारियों की संख्या	7	6
कुल मासिक आय (₹लाख में)	2.82	2.27
औसतन पिछली सेवाएँ (वर्षो में)	7.14	7.17
औसतन आयु (वर्षो में)	37.86	35.00
औसतन बाकी सक्षम जीवन (वर्षो में)	22.14	लागू नहीं
व्यतीत वर्षो की संख्या मूल्यांकित	50	लागू नहीं

(viii) **अनुबंध के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन (₹लाख में)**

आरंभ में अनुबंध के वर्तमान मूल्य	6.86	9.53
ब्याज लागत	0.64	0.82
चालू सेवा लागत	1.12	0.80
लाभ प्रदत्त	0	(3.39)
अनुबंध पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.36	(0.90)
अंत में अनुबंध का वर्तमान मूल्य	**12.98**	**6.86**

(ix) **नियोजित परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन**

आरंभ में नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
अंत में नियोजित परिसंपति का उचित मूल्य	-	-

(x) **नियोजित परिसंपत्ति के उचित मूल्य**

आरंभ में नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
अंत में नियोजित परिसंपति का उचित मूल्य	-	-
प्रत्येक वर्ग की नियोजित परिसंपति के उचित मूल्य में शामिल राशि और अन्य अधिकृत संपति या अन्य परिसंपति		शून्य

(xi) **लाभ तथा हानि लेखा में मान्य व्यय (₹लाख में)**

चालू सेवा लागत	**1.12**	**0.80**
ब्याज लागत	0.64	0.82
अवधि में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.36	(0.90)
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य व्यय	6.12	0.72

(xii) **वर्तमान अवधि के लिए राशि (₹लाख में)**

अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि-अनुबंध का वर्तमान मूल्य	**4.36**	**(0.90)**
अनुबंध के आरंभिक वर्तमान मूल्य का %	63.5%	- 9.5%
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि-नियोजित परिसंपति का उचित मूल्य	-	-
नियोजित परिसंपति के आरंभिक उचित मान का %	-	-
अवधि के लिए कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**4.36**	**(0.90)**
अवधि के लिए मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.36	(0.90)
अनुबंध के वर्तमान मूल्य पर अनुभवजन्य समायोजन-हानि/(लाभ)	**1.51**	**0.26**

(xiii) तुलन पत्र में मान्य देयता का परिचालन (₹लाख में)

आरंभ में अनुबंध का वर्तमान मूल्य	**6.86**	**9.53**
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य व्यय	6.12	0.72
लाभ प्रदत्त	0	(3.39)
नियोजित परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिलाभ	0	0
अंत में अनुबंध का वर्तमान मूल्य	**12.98**	**6.86**

(xiv) नियोजित परिसंपत्ति के विशेष वर्ग (कुल नियोजित परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में)- शून्य

निवेश/प्रतिभूति	-	-
कुल	-	-

(xv) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में अनुबंध के वर्तमान मूल्य का द्विभागीकरण (₹ लाख में)

चालू देयता (अल्पावधि)	0.35	0.36
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	12.63	6.50
कुल	**12.98**	**6.86**

(xvi) लाभ तथा हानि लेखा से संबंधित पद

व्यय: लाभ तथा हानि लेखा विवरणी में यह राशि स्वीकार्य है, इसकी गणना, चालू सेवा लागत के निवल कुल, ब्याज लागत, परिसंपत्ति से अपेक्षित प्रतिलाभ, बीमांकिक लाभ/हानि, पहले की सेवा लागत (यदि कोई हो) और कटौती या निपटारा (यदि कोई हो) से पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर होती है। अवधि के दौरान, अनुबंध के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तथा नियोजित परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिलाभ को कम कर प्रदत्त लाभ के आधार पर भी इसकी गणना की जाती है।

ब्याज लागत: यह अवधि के दौरान, **सुनिश्चित लाभ अनुबंध के वर्तमान मूल्य में वृद्धि है जो लाभ और निपटारे में एक अवधि की निकटता से जनित होता है।**

चालू सेवा लागत: यह सुनिश्चित लाभ अनुबंध के वर्तमान मूल्य में वृद्धि है जो चालू अवधि में कर्मचारी सेवा से प्रतिपादित होता है।

विगत सेवा लागत: यह पूर्वावधि में कर्मचारी सेवा के लिए अनुबंध के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन है जो नियुक्ति के बाद के लाभ या अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ की शुरुआत से या परिवर्तन से वर्तमान अवधि के रूप में प्रतिफलित होता है।

बीमांकिक लाभ/हानि: यह निम्नलिखित दो घटकों से युक्त है:

i) अनुभवजन्य समायोजन: यह विगत बीमांकिक मान्यताएँ एवं जो वास्तविक रूप से घटित हुआ था, के अंतर का परिणाम है।

ii) बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव

कटौती लागत: यह वह लागत है जो वर्तमान कर्मचारियों की भविष्य की सेवा के अपेक्षित वर्षों में विशेष रूप से कमी के कारण प्रतिफलित होती है या कर्मचारियों की भविष्य की सेवा के कुछ या सभी सुनिश्चित लाभ के प्रोद्भवन के विशेष विलोपन के कारण प्रतिफलित होती है।

निपटारा लागत: यह वह लागत है जो उस अवसर के कारण प्रतिफलित होती है जिसमें एक उद्यम ऐसे अंतरण में शामिल होता है जो सुनिश्चित लाभ योजना के तहत प्रदत्त कुछ या सभी लाभ के लिए सभी अगले अनुबंध को विलोपित करता है।

प्रतिलाभ के अपेक्षित दर: परिसंपत्ति के अपेक्षित प्रतिलाभ पर लेखा विधि अवधि के लिए प्रतिलाभ के आश्वस्त दर पर आधारित। इसे, अतीत में अर्जित लब्धि के साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित लब्धि पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है।

प्रतिलाभ के वास्तविक दर: ब्याज, लाभांश एवं नियोजित परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य में स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य परिवर्तन के कारण एक वर्ष में जमा निधि परिसंपत्ति पर अर्जित प्रतिलाभ।

(xvii) समापन देयता/विच्छिन्न देयता:

विवरण	31.03.2015 तक के चालू रिपोर्टिंग अवधि के मान (₹ लाख में)
विच्छिन्न देयता *	11.68

अनुबंध का वर्तमान मूल्य	12.98
अनुपात (अनुबंध का वर्तमान मूल्य/ विच्छिन्न देयता)	111%

*विच्छिन्न देयता वह राशि है जो अनुबंधों के तत्काल निपटारे के लिए कर्मचारियों को देय होगी। निहित मानदंड को नजरअंदाज करके इसकी गणना की गई है।

ख) छुट्टी का नकदीकरण-प्रकटीकरण

अनुपूरित अनुपस्थिति से होने वाला व्यय यदि ऐसे आकार, प्रकृति या घटना का होता है, जिसका प्रकटीकरण लेखा विधि मानक सं. 5 या लेखा विधि मानक सं. 18 के तहत संगत है, को छोड़कर, ए.एस.15 (आर.) के अनुच्छेद 132 के अनुसार ऐसे किसी विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

13. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलापों के विवरण:-

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि: ₹530.10 लाख (विगत वर्ष में ₹325.00 लाख)

(ख) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (₹लाख में):

क्रम सं.	विवरण	आरंभिक शेष	प्रावधान	व्यय राशि	अग्रेनीत शेष
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	उपर्युक्त (i) के कारणों के अलावा:-				
	2013-14	शून्य	325.00	50.00	275.00
	2014-15	275.00	530.10	80.00	725.10

(ग) लेखा विधि मानक (ए.एस.) 18 के अनुरूप सी.एस.आर. व्यय के संदर्भ में संबंधित पक्ष अंतरण का विवरण। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण- शून्य (विगत वर्ष-शून्य)

14. ए.एस.22 के तहत यथा अपेक्षित आस्थगित कर परिसम्पत्ति के प्रमुख घटकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

		31 मार्च 2015 तक (₹ लाख में)	31 मार्च 2014 तक (₹ लाख में)
	आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
(i)	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1,600.90	1,259.87
(ii)	उपदान के लिए प्रावधान	4.49	2.33
(iii)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	6.53	5.05
(iv)	संचयित मूल्यह्रास	0	5.54
	कुल	**1,611.92**	**1,272.79**
	आस्थगित कर देयताएँ:		
(i)	संचयित मूल्यह्रास	18.80	-
(ii)	वर्ष के दौरान विरोध के तहत प्रदत्त सेवाकर जिसे लाभ तथा हानि लेखा में नामे नहीं किया गया लेकिन भुगतान वर्ष में धारा 43बी के तहत आयकर गणना (विवरणी) में कटौती के दावों के रूप में दिखाया गया।	2,745.47	-
	कुल	**2,764.27**	-
	निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति	**1,152.35**	**1,272.79**

15. लेखाविधि मानक ए.एस.- 26 के अंतर्गत प्रकटीकरण :

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	क्रय किये गए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ग)	उपयोगी जीवन या उपयोग की गई परिशोधन दरें	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में लाये गये वर्ष से 5 वर्षों तक
(घ)	उपयोग की गई परिशोधन विधियाँ	सरल रेखा विधि
(ङ.)	सकल अग्रेनीत राशि	₹13.49 लाख (पिछले वर्ष ₹26.25 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹9.28 लाख (पिछले वर्ष ₹16.21 लाख)

(छ)	अवधि के आरंभ और अंत में संचित हानियाँ	शून्य
(ज)	अवधि के आरंभ और अंत में अग्रेनीत राशि का समायोजन	जैसा टिप्पणी-एच के अनुबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।
(झ)	आंतरिक विकास एवं समामेलन द्वारा अलग-अलग दर्शाते हुए योग	₹5.64 लाख में क्रय किया गया सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष ₹2.62 लाख)। कोई सॉफ्टवेयर अंतर्विकसित या समामेलन द्वारा विकसित नहीं किया गया है।
(ञ)	निवृत्तियाँ एवं निपटारा	₹18.41 लाख की लागत एवं ₹11.53 लाख की समानुपाती परिशोधित राशि
(ट)	अवधि के दौरान लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार्य अपसामान्य हानियाँ (यदि कोई हो)	शून्य
(ठ)	अवधि के दौरान लाभ तथा हानि लेखा में प्रतिकूल अपसामान्य हानियाँ	शून्य
(ड)	अवधि के दौरान स्वीकार्य परिशोधन	₹4.61 लाख (पिछले वर्ष ₹5.45 लाख)
(ढ)	अवधि के दौरान अग्रेनीत राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

16. लेखा संबंधी मानक "ए.एस. 18 संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुसार डॉ. वि.एस. हेगड़े , अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक एवं श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक (10 जुलाई, 2014 तक) एवं श्री वी. रघु वेंकटरामन, कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) (30 जनवरी 2015 से) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं। वर्ष के दौरान उक्त संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है, सिवाय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ उनके अधोलिखित पारिश्रमिक एवं देय लाभ की प्रतिपूर्ति के।

(क) डॉ. वि.एस. हेगड़े, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक:

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए (₹लाख में)	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए (₹लाख में)
पारिश्रमिक (वेतन)	19.56	18.58
टेलीफोन	0.77	0.56
चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	0.20	0.13
यात्रारियायत भत्ता	-	0.40
परिवहन भत्ता	3.74	-
कुल	**24.27**	**19.67**

(ख) श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक (10 जुलाई, 2014 तक):

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए (₹लाख में)	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए (₹लाख में)
पारिश्रमिक (वेतन)	7.89	16.32
चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	-	0.22
कुल	**7.89**	**16.54**

(ग) श्री वी. रघु वेंकटरामन, कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) (30 जनवरी, 2015 से):

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए (₹लाख में)	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए (₹लाख में)
पारिश्रमिक (वेतन)	1.42	-
चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	0.02	-
कुल	**1.44**	-

17. वित्त वर्ष के दौरान लेखा-संबंधी मानक ए.एस. 28 के अनुसार परिसम्पत्ति के अपसामान्यन की कोई घटना नहीं हुई है।

18. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को कोई धन-राशि देय नहीं है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत, वर्ष के दौरान उपयोगी जीवन सरल रेखा विधि द्वारा मूल्यह्रास शुल्क इस प्रकार लिया गया है:-

(i) ₹0.05 लाख से कम लागत वाली परिसंपत्ति जिसका उपयोगी जीवन 1 अप्रैल, 2014 से पहले समाप्त हो चुका है, के मूल्यह्रास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि शेष मान एवं अग्रेनीत राशि शून्य है।

(ii) ₹0.05 लाख से अधिक लागत वाली परिसंपत्ति जिसका उपयोगी जीवन 1 अप्रैल, 2014 से पहले समाप्त हो चुका है और जिसकी अग्रेनीत राशि, शेष मान से कम है, के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि लेखा में नामे किया जाता है।

(iii) ₹0.05 लाख से अधिक लागत वाली परिसंपत्ति जिसका उपयोगी जीवन 1 अप्रैल, 2014 से पहले समाप्त हो चुका है और जिसकी अग्रेनीत राशि, शेष मान से कम है, के अंतर को लाभ तथा हानि लेखा के द्वारा सुरक्षित आय से प्रतिवर्तित किया जाता है।

(iv) उन सभी परिसंपत्ति के लिए जिनके बचे हुए उपयोगी जीवन 1 अप्रैल, 2014 तक विद्यमान हैं, के निवल अग्रेनीत राशि के शेष मान को सुरक्षित रखने के बाद उपयोगी जीवन की बची हुई अवधि के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है

20. तुलन पत्र (अन्य दीर्घावधि देयताएँ) के नोट-सी (ख) में, केंद्रीय बिक्री कर एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए बाकी ₹5,492.14 लाख की राशि सहित महत्वपूर्ण ग्राहक की ₹29,107.86 लाख की राशि की परियोजना से निवल अग्रिम शामिल है।

21. पी के तहत अन्य प्रतिबद्धता- अन्य नोट सं.1 (ii) (ख), ₹2,27,231.35 लाख, (विगत वर्ष ₹2,52,660.67 लाख) की आपूर्ति एवं सेवा के लिए क्रियान्वित राशि के प्रति ₹1,14,401.62 लाख (विगत वर्ष ₹1,60,985.75 लाख) की निवल प्रतिबद्धता है और इन निविदाओं के एवज में ग्राहक से प्राप्त अग्रिम ₹35,077.57 लाख (विगत वर्ष ₹1,52,244.84 लाख) है।

22. अन्य प्रचालित राजस्व के तहत ₹60.47 लाख (विगत वर्ष ₹53.92 लाख) की निर्यात प्रोत्साहन-राशि- एक ग्राहक को निर्यातित हायलास उपग्रह के संतोषजनक कार्य निष्पादन के लिए उनसे प्राप्त विदेशी प्राप्तियाँ हैं।

23. कम्पनी ने 31 मार्च, 2015 तक सभी ग्राहकों से शेष-राशि की पुष्टि माँगी है सिवाय उनके जिनके साथ करार बंद हो चुका है; और केवल कुछ ग्राहकों से ही उत्तर या पुष्टि प्राप्त हुई थी। ग्राहकों के लेखा में पाए गए अंतर के लिए सामंजस्य प्रगति पर है।

24. कंपनी ने, वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक की अवधि के लिए इन्सैट/जीसैट प्रेषानुकर पट्टे पर देने संबंधी अं.वि./इसरो-एन्ट्रिक्स के लेखा में सामंजस्य पूर्ण होने के लिए अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की है। प्रबंधन के विचार से लाभ पर ऐसी अपुष्टि एवं असामंजस्य से वर्ष के लिए प्राप्त होने वाले लाभ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

25. दीर्घकालीन परिसंपत्ति-दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम-कर बकाया वापसी जिसके लिए वर्ष के दौरान आकलन आदेश प्राप्त हुआ है, के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाये की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	लेखा के अनुसार आयकर वापसी	आदेशानुसार आयकर माँग	आदेशानुसार प्राप्त आयकर वापसी	स्थिति
2007-08	1,280.15	34.32	-	वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वापसी के प्रति वसूली परन्तु धारा 154 के अंतर्गत संशोधन आवेदन पत्र दाखिल किया गया। साथ ही, धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत सी.बी.डी.टी. के समक्ष याचिका लंबित है।
2008-09	1,727.33	703.06	-	वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वापसी में प्रति वसूली परन्तु धारा 154 के अंतर्गत संशोधन आवेदन पत्र दाखिल किया गया।
2009-10	440.75	24.98	-	धारा 154 क अंतर्गत कंपनी ने संशोधन आवेदन पत्र दाखिल किया।
2010-11	9.14	-	-	₹9.14 लाख तक कम प्राप्त हुई वापसी
2011-12	3,084.28	-	3,078.11	01.05.2015 को प्राप्त वापसी

टी.डी.एस. प्रमाणपत्र और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना एवं आयकर विवरणी (आइ.टी.आर.) में किए गए टी.डी.एस. दावे के प्रति लेखाओं में बचे शेष के आधार पर बकाया आयकर वापसी की गणना की जाती है। आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा लेखा के अनुसार एवं आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार, बकाया राशि, जैसा कि उपर्युक्त टेबुल में अन्य द्वारा किए गए टी.डी.एस. का ब्योरा दिया गया है,

के बीच सामंजस्य प्रगति पर है। सामंजस्य के पूरे होने के बाद तथा धारा 154 के आवेदन-पत्र के प्रति आदेश की प्राप्ति के बाद लेखा-पुस्तिकाओं में उपयुक्त लेखा-विधि व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधन का विचार है कि सामंजस्य के लंबित होने के कारण लाभ तथा हानि लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

26. वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को समनुरूप बनाने के लिए रूपए को निकटतम लाख के रूप में पूर्णांकित किया गया है और जहाँ भी जरूरत पड़ी, विगत वर्ष के अंकों को पुनवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.003118 एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.वी. राव)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं.19138

हस्ता/
(वी. रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/
(वि.एस. हेगडे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण
(परोक्ष विधि के अंतर्गत)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए		31.03.2014 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए	
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
कराधान से पहले निवल लाभ	-	32,539.95	-	29,637.25
निम्न के लिए समायोजन (जोड़िए) :				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	89.08	-	134.23	-
उपदान हेतु प्रावधान	6.12	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	3.99	-	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	80.00	-	-	-
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1,351.52	-	469.27	-
विदेशी मुद्रा अंतरण	1,005.52	-	(95.99)	-
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	1.10	-	0.16	-
बहिष्कृत स्थायी परिसंपत्ति	15.05	2,552.38	-	507.67
	-	35,092.33	-	30,144.92
इनके लिए समायोजन जोड़िए/(घटाइए):				
असामान्य मद	-	-	(3.62)	-
संदिग्ध ऋण का प्रावधान जिसकी आगे आवश्यकता न हो	432.59	-	-	-
देयता के प्रावधान की आवश्यकता नहीं	16.22	-	(43.55)	-
बैंक से ब्याज की प्राप्ति	11,523.51	-	(9,747.04)	-
एम.एफ. से पूँजीगत लाभ	632.00	-	(706.15)	-
एम.एफ. से लाभांश की प्राप्ति	804.14	13,408.46	(782.03)	(11,282.39)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालित लाभ	-	48,500.79	-	18,862.53
व्यापार देय में वृद्धि	26,655.03	-	4,667.23	-
व्यय की गई सी.एस.आर. निधि	80.00	-	-	-
देयताओं एवं प्रावधान में कटौती	(33,836.45)	-	(15.25)	-
व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि	(6,330.92)	-	(3,885.67)	-
ऋण, अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी	3,673.83	-	-	-
ऋण, अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	-	(9,758.51)	(8,857.38)	(8,091.07)
प्रचालन से जनित नकद	-	38,742.28	-	10,771.46
भुगतान किया गया आय कर	-	(72.30)	-	(64.26)
इसरो द्वारा स्रोत पर काटा गया कर	-	(11,613.70)	-	(11,436.95)
प्रचालन क्रियाकलापों से प्राप्त निवल नकद :	-	**27,056.28**	-	**(729.75)**
निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद	(126.28)	-	(89.84)	-
स्थायी परिसंपत्ति के विक्रय से प्राप्त आय	0.58	-	0.30	-
बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	(1,005.52)	-	95.99	-
बैंक से प्राप्त ब्याज	11,523.51	-	9,747.04	-
एम.एफ. से पूँजीगत लाभ	632.00	-	706.15	-
एम.एफ.से लाभांश प्राप्तियाँ	804.14	-	782.03	-

निवेश में कमी	14,815.97	-	4,571.25	-
बैंक के एफ.डी. पर उपचित ब्याज में वृद्धि	(1,720.72)	-	-	-
बैंक के एफ.डी. पर उपचित ब्याज में कमी	-	-	128.78	-
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद	-	**24,923.68**	-	**15,941.70**
वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
प्रदत्त लाभांश	(4,010.00)		(3,542.00)	-
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(681.50)		(601.96)	-
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	-	**(4,691.50)**	-	**(4,143.96)**
नकद व बैंक शेष में निवल वृद्धि	-	**47,288.46**	-	**11,067.99**
वर्ष के आरंभ में नकद व बैंक शेष	-	1,13,857.41	-	1,02,789.42
वर्ष के अंत में नकद व नकद समान सम्पत्ति	-	**1,61,145.87**	-	**1,13,857.41**

नोट:

1 *लेखा मानक (ए.एस.)18, के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण से जुड़े सी.एस.आर. व्यय का विवरण, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण शून्य है।*

2. *सी.एस.आर. क्रियाकलापों के लिए ₹530.10 लाख के प्रावधान से ₹80 लाख की राशि वर्ष के दौरान, निर्माण कार्य, परिसंपत्ति की प्राप्ति के अलावा, सी.एस.आर. क्रियाकलापों हेतु खर्च की जा चुकी थी और वर्ष के अंत तक ₹725.10 की बची जमा राशि अग्रेनीत की गई है।*

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.003118 एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.वी. राव)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं.19138

हस्ता/
(वी. रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/
(वि.एस. हेगड़े)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17-07-2015

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560231

दूरभाष: +91 80 2217 8302/31/11, फैक्स: +91 80 2217 8337

वेबसाइट: www.antrix.gov.in